फैक्स / ई-मेल

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली, 2021

संख्या- 403 पी /छः-पु-6-2021- 02 विविध /2020

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह पुलिस अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 26 मार्च, 2021

विषयः उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली, 2021 के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत ही हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में व्यक्तियों व प्रतिष्ठानों की संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु विनिर्दिष्ट रूप से प्रशिक्षित पुलिस बल का गठन तथा विनियमन करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2020 *(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2020)* दिनांक 31 अगस्त, 2020 पारित किया गया है जिसकी प्रति शासनादेश संख्या- 51/2020/830पी/छः-पु-6-2020-02 विविध/ 2020 दिनांक 11-09-2020 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।

2- उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2020 की धारा 17 में यह प्राविधान हैं कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

3- उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2020 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही किये जाने के संबंध में शासन स्तर पर कार्यालय पुलिस महानिदेशक/ पुलिस मुख्यालय/ सुरक्षा/ पी0ए0सी0 मुख्यालय आदि के अधिकारीगणों के साथ समय-समय पर विचार विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2020 की धारा 17 (नियम बनाने की शक्ति) के अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-3/ क-113 (यू.पी.एस.एस.एफ.) 2020 दिनांक 17-01-2021 द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन, उसके सदस्यों की नियुक्तियों, भर्तियों उसके अधीक्षण, प्रशासन, अभिनियोजन तथा उनकी शक्तियों आदि को विनियमित करने की दृष्टि से पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोंपरान्त उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली, 2021 का ड्राफ्ट व प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया।

इसके अतिरिक्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 20-01-2021 द्वारा उक्त प्रस्तावित नियमावली से संबंधित कतिपय सूचनाएं भी उपलब्ध करायी गयीं तथा प्रस्तावित नियमावली के विधीक्षण दौरान भी पुलिस मुख्यालय के प्रतिनिधिगण उपस्थित भी रहे।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2020 की धारा 17 (नियम बनाने की शक्ति) के प्राविधानों के अधीन उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन, उसके सदस्यों की नियुक्तियों, भर्तियों, उसके अधीक्षण, प्रशासन, अभिनियोजन तथा उनकी शक्तियों आदि को

विनियमित करने की दृष्टि से सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली, 2021 का प्रख्यापन अधिसूचना संख्या-402 पी /छः-पु-6-2021-02 विविध/ 2020 दिनांक 26 मार्च, 2021 ***(प्रति संलग्न /हिन्दी व अंग्रेजी)*** द्वारा किया गया है।

5- अनुरोध है कि उक्त प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली, 2021 में वर्णित प्राविधानों से अवगत होते हुए उक्त बल के संचालन के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा जिन मामलों में शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है, उससे संबंधित आवश्यक औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को कृपया शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 403 पी (1) /छः-पु-6-2021- 02 विविध /2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(नियमावली की हिन्दी/अंग्रेजी प्रति संलग्न)

1. महालेखाकार, लेखा- प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. Registrar General, मा0 उच्च् न्यायालय, इलाहाबाद।
4. Registrar, मा0उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
5. समस्त -मा0जिला न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उ0प्र0।
7. प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उ0प्र0।
8. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव- धर्मार्थ कार्य/ औद्योगिक विकास विभाग/ संस्कृति/सूचना/राज्य सम्पत्ति /बैंकिंग/ आवास/नगर विकास विभाग/नागरिक उड्डयन विभाग/ वित्त/ कार्मिक/सामान्य प्रशासन /प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
10. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव, न्याय / विधायी विभाग, उ0प्र0शासन।
12. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
13. **अपर पुलिस महानिदेशक**, कार्मिक/ स्थापना/ प्रशासन /तकनीकी सेवाएं/ लाजिस्टिक/ पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड/ अभिसूचना/ई0ओ0डब्लू0/एस0टी0एफ0/ ए0टी0एस0/यू0पी0-100/ टेलीकाम/विजिलेंस/ भ्र0नि0सं0/ विशेष जांच/ यातायात/ /एस0आई0टी0/सी0बी0सी0आई0डी0/रूल्स एंड मैनुअल/ मानवाधिकार /जी0आर0पी0 / फायर सर्विस/ सुरक्षा/ पीएसी / महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश।
14. **समस्त** अपर पुलिस महानिदेशक **(जोन)**/ पुलिस महानिरीक्षक **(परिक्षेत्र)**- उत्तर प्रदेश।
15. सेनानायक, उ0प्र0विशेष सुरक्षा बल, उ0प्र0, लखनऊ।
16. प्रबन्ध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन (एल0एम0आर0सी0) लखनऊ।
17. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**

पुलिस आयुक्त/

18. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

19. संयुक्त निदेशक, **मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0,** ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित उक्त निर्गत अधिसूचना (नियमावली-हिन्दी/ अंग्रेजी) को दिनांक -03-2021 के असाधारण सरकारी गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कराते हुए इसकी 250 प्रतियां गृह पुलिस अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लोक भवन, कक्ष संख्या-406, चतुर्थ तल, लखनऊ को तथा 50 प्रतियां कार्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को 10 दिन में कृपया उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

20. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

21. वित्त -ई -12 /विधायी-1/ गृह एवं गोपन विभाग के समस्त अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन।

22. **गृह नियंत्रण कक्ष,** उ0प्र0शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिनियम विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा सर्वसंबधित को ई-मेल/ फैक्स कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कुमार प्रशान्त)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

संख्या: 402 पी/ छः-पु-6-2021-02 विविध/ 2020

लखनऊ: दिनांक 26 मार्च, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2020) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन, उसके सदस्यों की नियुक्तियों, भर्तियों, उसके अधीक्षण, प्रशासन, अभिनियोजन तथा उनकी शक्तियों आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली, 2021 कही जायेगी। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा। (3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
परिभाषायें	2	जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -
	(1)	(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2020 से है; (ख) अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा, अपर पुलिस अधीक्षक/उप समादेष्टा, पुलिस उपाधीक्षक/ सहायक समादेष्टा का तात्पर्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के मुख्यालय, सेक्टर कार्यालयों एवं वाहिनियों में नियुक्त पुलिस अधिकारियों से है; (ग) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के मामलों में पुलिस उपमहानिरीक्षक से और मुख्य आरक्षियों तथा आरक्षियों और चतुर्थ श्रेणी (समूह 'घ') के मामलों में यथास्थिति पुलिस अधीक्षक या समादेष्टा से है; (घ) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो भारत का संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये ; (ङ) पुलिस महानिदेशक का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) 'अधिष्ठान ' का तात्पर्य शैक्षिक, वाणिज्यिक तथा मनोरंजन सम्बन्धी प्रयोजनों हेतु कार्य करने वाले किसी संगठन के मामलों में प्रयुक्त किये जा रहे भवन, भू-गृहादि या परिसर से है;

(छ) 'बल' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल से है;

(ज) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(झ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल से है;

(ञ) 'विभागाध्यक्ष' का तात्पर्य, सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त अधिकारी से है;

(ट) 'उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल मुख्यालय' का तात्पर्य यथास्थिति पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल या अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष सुरक्षा बल, उत्तर प्रदेश के अधीन कार्यरत मुख्यालय से है;

(ठ) 'औद्योगिक उपक्रम' का तात्पर्य किसी अनुसूचित उद्योग {उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 की धारा 3 में यथापरिभाषित} से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी उपक्रम से है, जिसमें किसी अन्य उद्योग या किसी व्यापार, व्यवसाय या सेवा में संलग्न कोई उपक्रम सम्मिलित है जो संसद या राज्य विधान मण्डल द्वारा विधि के माध्यम से विनियमित हो;

(ड) 'प्रतिष्ठापन' का तात्पर्य किसी संगठन के मामले में प्रयुक्त किये जा रहे किसी मूर्ति, स्मारक, भवन, भू-गृहादि या परिसर से है, जिसमें कार्यालय, सम्बद्व भवन, आवासीय क्षेत्र और उस भू-गृहादि या परिसर में विद्यमान उस संगठन की सम्पत्ति सम्मिलित है ;

(ढ) 'बल का सदस्य' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो बल में नियुक्त हो;

(ण) 'निजी' का तात्पर्य ऐसे किसी प्रतिष्ठान या अधिष्ठान से है जो केन्द्रीय या राज्य सरकार या उनके अभिकरणों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित या व्यवस्थित हो;

(त) 'चयन समिति' का तात्पर्य सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा गठित 'चयन समिति' से है;

(थ) 'अधीनस्थ अधिकारी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो बल में निरीक्षक या उप निरीक्षक रैंक में नियुक्त हो;

(द) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और प्रवृत्त नियमों के अनुसार चयन द्वारा की गयी हो और कोई नियम न होने की स्थिति में तत्समय प्रवृत्त किन्ही कार्यकारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित प्रक्रियाओं के अधीन की गई

		हो;
		(ध) बल के किसी अधिकारी के सम्बन्ध में 'पर्यवेक्षण अधिकारी' का तात्पर्य ऐसे किसी रैंक के अधिकारी से है, जो ऐसे अधिकारी के रैंक से उच्चतर रैंक के रूप में विहित हो;
		(न) 'अवर अधिकारी' का तात्पर्य ऐसे किसी मुख्य आरक्षी से है, जो बल में अर्दली हवलदार, लाइन पुलिस हवलदार, हवलदार क्वार्टर मास्टर तथा टीम हवलदार मेजर के रूप में तैनात हो;
		(य) 'उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड' का तात्पर्य शासनादेश संख्या-1256/6-पु-10-2008-27(7)/08 द्वारा भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए गठित बोर्ड से है;
		(र) 'उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र रक्षीदल' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्तीय प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी ऐक्ट, 1948 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य के बल से है;
		(ल) 'उत्तर प्रदेश पुलिस' का तात्पर्य पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य के बल से है;
		(व) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि से है;
		(श) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, पुलिस अधिनियम 1861, संयुक्त प्रान्तीय प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी ऐक्ट 1948 तथा प्रादेशिक सशस्त्र रक्षीदल मैनुअल में परिभाषित शब्दों एवं पदों के वही अर्थ होंगे जो उनमें क्रमशः उनके लिये समनुदेशित हैं।
बल का गठन	**3**	राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 के उपबंध के अनुसार एक बल का गठन किया जायेगा तथा उसका अनुरक्षण किया जायेगा जिसे उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल कहा जायेगा।
बल का ढांचा और उसकी संरचना	**4**	(1) बल के गठन के अन्तर्गत उसका मुख्यालय, सेक्टर कार्यालय तथा वांहिनियां होगी। वाहिनी का गठन एक प्राथमिक इकाई पर आधारित होगा जिसे 'टीम' कहा जायेगा। वाहिनी मुख्यालय स्तर पर आवश्यक कृत्यों का निष्पादन करने के लिए विभिन्न पदों पर कुल सदस्य संख्या के अतिरिक्त किसी वाहिनी में सामान्य तथा विशेष टीमें होंगी, सुरक्षा टीम, व्यक्तिगत सुरक्षा टीम, क्यू0आर0टीम, प्रशिक्षण रिजर्व टीम एवं वाहिनी डियूटी टीम सामान्य टीमों के अधीन होंगी जबकि बी0डी0डी0एस0(बम्ब डिटेक्शन एण्ड डिस्पोज़ल स्क्वाड)/डाग स्क्वाड टीम, एण्टी सबोटाज चेक टीम, स्नाइपर एवं एम0टी0 (मोटर परिवहन) खण्ड विशिष्ट टीमों के अधीन होंगे।

		(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर प्रथम चरण में 05 वाहिनियों का गठन किया जायेगा और अग्रतर ऐसी वाहिनियां गठित की जायेंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय। बल के मुख्यालय का गठन उसी प्रकार से किया जायेगा जैसा की नियम 7 में विहित है।
		(3) **यथा पूर्वोक्त के सिवायः-** (क) उक्त बल के किसी वाहिनी के पर्यवेक्षण अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों तथा सदस्यों की संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जैसा कि राज्य सरकार, विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत और पुलिस महानिदेशक द्वारा संस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात अपेक्षानुसार समय-समय पर अनुमोदित किया जाय। (ख) समादेष्टा/कार्यालयाध्यक्ष परिचालनात्मक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से अभिनियोजन के प्रयोजनार्थ विभिन्न टीमों के पदों और उनकी संख्या में परिवर्तन कर सकता है। (ग) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे स्थगित रख सकती हैं, जिसके लिए किसी व्यक्ति के पास किसी प्रकार के उपचार या प्रतितोष का अधिकार नहीं होगा। (घ) राज्य सरकार, बल के प्रभावी संचालन हेतु ऐसे किसी स्थाई और /या अस्थाई पदों का सृजन कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे।
बल की संरचना	**5**	बल की संरचना और सदस्यों की श्रेणीवार संख्या वही होगी जैसा कि नियम 5 में विहित है। बल के सदस्य विभिन्न श्रेणियों के रैंको में होगें, जैसा कि नीचे उल्लिखित हैः- (1) **राजपत्रित अधिकारी** (क) अपर पुलिस महानिदेशक (ख) पुलिस महानिरीक्षक (ग) पुलिस उप महानिरीक्षक (घ) पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा (ड़) अपर पुलिस अधीक्षक/उप समादेष्टा ; और (च) पुलिस उपाधीक्षक/सहायक समादेष्टा /सैन्य सहायक (2) **अराजपत्रित अधिकारी** (क) कार्यकारी बल (एक) शिविरपाल, विशेष सुरक्षा बल (मुख्यालय हेतु) (दो) निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल (तीन) सूबेदार शिविरपाल/सूबेदार सैन्य सहायक, विशेष सुरक्षा बल (चार) उपनिरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल

(

		(पांच) मुख्य आरक्षी, विशेष सुरक्षा बल ; और (छः) आरक्षी, विशेष सुरक्षा बल **(ख) सहायक कर्मचारिवृंद** (1) **लिपिकीय संवर्ग** (एक) पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक वर्गीय) (दो) पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) (तीन) पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) (चार) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक वर्गीय) (पांच) सहायक पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) (2) **मोटर परिवहन संवर्ग** (एक) उपनिरीक्षक, मोटर परिवहन (दो) मुख्य आरक्षी, मोटर परिवहन (तीन) आरक्षी चालक ; और (चार) आरक्षी डिस्पैच राइडर (3) **आरमोरर/ बिगुलर संवर्ग** (एक) मुख्य आरक्षी आरमोरर (दो) आरक्षी आरमोरर ; और (तीन) आरक्षी बिगुलर (4) **चतुर्थ श्रेणी (समूह 'घ')** (5) **रेडियो शाखा** (एक) रेडियो निरीक्षक; (दो) रेडियो केन्द्र/अनुरक्षण अधिकारी; (तीन) प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक); (चार) सहायक परिचालक; (पांच) कार्यशाला सहायक ; और (छः) संदेश वाहक। (6) **अस्पताल शाखा** (एक) चिकित्सा अधिकारी; (दो) फार्मासिस्ट; (तीन) नर्सिंग सहायक; और (चार) चतुर्थ श्रेणी (समूह 'घ')।
वेतन	**6**	बल के सदस्य ऐसा वेतन और भत्ते आहरित करेगे जैसा कि उत्तर प्रदेश

		प्रादेशिक सशस्त्र रक्षीदल के समतुल्य रैंकों के सदस्यों को, समय समय पर विहित किये जाते हैं या जैसा कि उनके मूल विभाग में संदेय हों।
बल का मुख्यालय	**7**	बल का मुख्यालय लखनऊ में होगा। प्रथम चरण में बल की 05 वाहिनियां गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मथुरा तथा सहारनपुर में स्थापित की जायेंगी। भविष्य में जैसे ही अग्रतर वाहिनियां स्थापित की जायेंगी वैसे ही सरकार द्वारा 03 से 05 वाहिनियों के एक समूह के लिए एक सेक्टर मुख्यालय स्थापित किया जायेगा। एक उप महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी सेक्टर मुख्यालय का प्रभारी होगा। वाहिनियों की संख्या में वृद्वि के अनुरूप बल के मुख्यालय में अतिरिक्त पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करने का विनिश्चिय तत्समय सरकार द्वारा किया जायेगा।
पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्तियां और शक्तियां	**8**	(1) बल के पर्यवेक्षण के लिए राज्य सरकार बल के मुख्यालय में एक अपर बल महानिदेशक की नियुक्ति करेगी, जो विभागाध्यक्ष होगा। प्रथम चरण में, मुख्यालय में विभागाध्यक्ष की सहायता करने हेतु 01 पुलिस महानिरीक्षक, 01 पुलिस उप महानिरीक्षक, 02 पुलिस अधीक्षक और 04 पुलिस उपाधीक्षक होंगे। भविष्य में, नियम 5 के अधीन विहित उपबंधों के अध्यधीन, राज्य सरकार अतिरिक्त वाहिनियों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के गठन के पश्चात, मुख्यालय तथा सेक्टर कार्यालयों के लिए अतिरिक्त पर्यवेक्षक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। (2) राज्य सरकार बल के प्रत्येक वाहिनी का पर्यवेक्षण करने हेतु वाहिनी मुख्यालय में एक पुलिस अधीक्षक /समादेष्टा की नियुक्ति कर सकती है, जो कार्यालयाध्यक्ष होगा तथा पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में उसकी सहायता करने के लिए 01 अपर पुलिस अधीक्षक /उप समादेष्टा की नियुक्ति कर सकती है, जो द्वितीय समादेष्टा अधिकारी (टू आई सी) होगा। (3) वाहिनी स्तर पर प्रत्येक वाहिनी हेतु अन्य राजपत्रित पर्यवेक्षण अधिकारियों के रूप में 05 पुलिस उपाधीक्षकों/ सहायक समादेष्टाओं की नियुक्ति की जा सकती है।
राजपत्रित पर्यवेक्षण अधिकारियों के कर्तव्य	**9**	(क) **अपर बल महानिदेशक** (1) अपर महानिदेशक, विभागाध्यक्ष होगा और वह बल की उच्च दक्षता, प्रशिक्षण, अनुशासन और मनोबल की स्थिति अनुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी होगा और वह उक्त प्रयोजनार्थ दौरों, निरीक्षणों द्वारा, अभिलेखों का परीक्षण करके, रिपोर्ट मंगा कर, प्रक्रिया निर्धारित कर, अनुदेश जारी करके और बल के प्रशासन से संबंधित समस्त मामलों में निदेश देकर ऐसे समस्त कदम उठायेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे। वह विशिष्टतया पर्यवेक्षण अधिकारियों का मार्गदर्शन करेगा तथा उन्हें निदेश देगा और यह सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य होगा कि प्रत्येक पर्यवेक्षण अधिकारी अपने प्रभार में बल की दक्षता और

		अनुशासन को उच्च स्तर पर अनुरक्षित रखे। (2) अपर महानिदेशक, नियम 3 में उल्लिखित समस्त संस्थाओं/प्रतिष्ठानों के प्राधिकारियों, प्रमुख व्यक्तियों आदि के साथ समन्वय सुनिश्चित करेगा, जहां बल अभिनियोजित किया गया हो और बल के सम्बन्ध में वह प्रत्येक ऐसे उपक्रम, अधिष्ठान, व्यक्ति आदि की सुरक्षा प्रकरणों का समाधान और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेगा। वह राज्य की पुलिस तथा अन्य प्राधिकारियों के साथ घनिष्ट सम्पर्क बनायें रखेगा जिससे कि ऐसे उपक्रम, अधिष्ठान, व्यक्ति आदि की संरक्षा और सुरक्षा से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में राज्य पुलिस और बल के मध्य प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। (3) वह अधिनियम की धारा 8 के अधीन संख्यांकित कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिए बल के सदस्यों को इस नियमावली से संगत उत्तरदायित्वों को समनुदेशित करने के लिए स्थायी आदेश /पुस्तिकायें, परिपत्र, आदेश तथा अनुदेश आदि जारी करेगा। (4) वह ऐसे किसी अन्य कर्तव्य का निष्पादन करेगा, जिसे राज्य सरकार अथवा पुलिस महानिदेशक द्वारा समय-समय पर सौंपा जाय। (5) वह समस्त महत्वपूर्ण मामलों की सूचना से पुलिस महानिदेशक तथा राज्य सरकार को सम्यक् रूप से अवगत कराता रहेगा। **(ख) बल महानिरीक्षक -** (1) महानिरीक्षक, अपर बल महानिदेशक के सहायक के रूप में कार्य करेगा। (2) वह विभिन्न अभिनियोजन अवस्थानों का सघनता पूर्वक पर्यवेक्षण करेगा और उनकी दक्षता व कार्यकुशलता का संवर्धन करने हेतु समुचित उपाय करेगा। (3) वह विभिन्न उपक्रमों, व्यक्तियों, अधिष्ठानों आदि में अभिनियोजित बल के प्रचालन और नियंत्रण हेतु सेक्टर उप महानिरीक्षकों को अनुदेश देगा। (4) वह नियम-9 के अधीन उल्लिखित कर्तव्यों के निर्वहन में विभागाध्यक्ष की सहायता करेगा। (5) वह बल मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार क्षेत्रीय इकाईयों का निरीक्षण करेगा। (6) वह समस्त वाहिनियों के क्षेत्रीय उप महानिरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण टिप्पणियों/ निरीक्षण रिपोर्टो की संवीक्षा करेगा और उसमें इंगित की गई कमियों के निराकरण के अनुपालन का अनुश्रवण करेगा। (7) वह उप महानिरीक्षकों के दौरा, कार्यक्रमों, निरीक्षण टिप्पणियों /निरीक्षण रिपोर्टो और मासिक डायरियों की संवीक्षा और अनुमोदन करेगा। (8) वह विभागीय जांच संबंधी मामलों का शीघ्रता पूर्वक निस्तारण किया जाना और न्यायालयीय मामलों का समयबद्ध अनुश्रवण किया जाना सुनिश्चित करेगा।

(9) वह ऐसे किसी अन्य कर्तव्य का निष्पादन करेगा, जिसे पुलिस महानिदेशक अथवा अपर बल महानिदेशक द्वारा समय-समय पर सौंपा जाय।

(ग) पुलिस उप महानिरीक्षक -

(1) बल का समुचित पर्यवेक्षण करने के लिए राज्य को सेक्टरों में विभाजित किया जायेगा। उप महानिरीक्षक प्रत्येक सेक्टर का प्रभारी होगा।

(2) वह अपने प्रभार के बल में उच्च दक्षता, प्रशिक्षण, अनुशासन और मनोबल की स्थिति अनुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रयोजन के लिए, वह अपने क्षेत्र, जहां बल तैनात किया गया हो, के उपक्रमों, अधिष्ठानों, कार्मिकों की सुरक्षा आदि का वर्ष में कम से कम दो बार निरीक्षण करेगा, और अपनी निरीक्षण टिप्पणी /निरीक्षण रिपोर्ट, बल की स्थिति और अपने प्रशासन का ब्यौरा देते हुये महानिरीक्षक को प्रेषित करेगा।

(3) उप महानिरीक्षक, समादेष्टाओं के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा और उनकी सहायता करेगा, सलाह देगा और उन पर नियंत्रण रखेगा। वह अपने क्षेत्र जहां बल तैनात किया गया हो, के उपक्रमों, अधिष्ठानों, कार्मिकों की सुरक्षा आदि के प्राधिकारियों के साथ समन्वय रखेगा।

(4) वह ऐसे किसी अन्य कर्तव्य का निष्पादन करेगा, जिसे अपर बल महानिदेशक और बल महानिरीक्षक द्वारा समय-समय पर सौंपा जाय।

(घ) समादेष्टा के कर्तव्य

(1) समादेष्टा वाहिनी का प्रधान होगा। वह वाहिनी की दक्षता, अनुशासन तथा मनोबल के लिए अपने अधीन बल की प्रत्येक शाखा के समुचित प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होगा। वह अपने समादेश के अधीन बल के वाहिनी का समय-समय पर निरीक्षण करेगा। अपने अधीन बल के लिए समस्त प्रशासनिक एवं अन्य आदेश उसकी ओर से निर्गमित किये जायेंगे और वह उनका अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करेगा।

(2) वह, पुलिस महानिदेशक, अपर बल महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा जारी किये गये समस्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करेगा।

(3) समादेष्टा, वाहिनी से बाहर तैनात बल की टुकड़ियों का नियमित रूप से निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे उच्च दक्ष स्थिति में रहते हैं।

(4) वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन बल के समस्त सदस्य, कार्यक्रम के अनुसार बारी-बारी से परेड और पुनश्चर्या कार्यक्रम में उपस्थित रहें। मुख्यालय में हो तो उसे प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को परेड में उपस्थित होना होगा और प्रत्येक शुक्रवार को अर्दली कक्ष धारित करना होगा।

(5) समादेष्टा, उस उपक्रम, अधिष्ठान तथा व्यक्तिगत सुरक्षा, जिसके अन्तर्गत

उसकी वाहिनी की टुकड़ी तैनात हो, की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। उस प्रयोजन के लिए वह जिला पुलिस प्राधिकारियों के साथ-साथ उपरोक्त उल्लिखित उपक्रम, अधिष्ठान, व्यक्तिगत सुरक्षा के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ट सम्पर्क/ समन्वय रखेगा। वह, अपर बल महानिदेशक, महानिरीक्षक तथा उपमहानिरीक्षक को समस्त उद्‌घटनाओं से पूर्णतः अवगत कराता रहेगा और उन्हें विहित रूप में नियमित पाक्षिक रिपोर्ट प्रेषित करता रहेगा। तथापि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों को शीघ्रतम सम्भव साधनों द्‌वारा उनके संज्ञान में लाया जायेगा। उसे आसूचना खण्ड की कार्यप्रणाली पर वैयक्तिक रूप से ध्यान देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आसूचना, दक्षता पूर्वक संग्रहीत की जाय और उससे सम्बन्धित प्राधिकारियों तथा उप महानिरीक्षक को तत्परतापूर्वक अवगत कराया जाय।

(6) वह ऐसे किसी अन्य कर्तव्य का निष्पादन करेगा, जिसे बल के विभागाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ पर्यवेक्षण अधिकारियों द्‌वारा समय-समय पर सौपा जाय।

(ङ.) उप समादेष्टा के कर्तव्य-

(1) उप समादेष्टा वाहिनी का द्वितीय-समादेश अधिकारी (टू आई सी) होगा।

(2) वह, समादेष्टा के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में समादेष्टा की सहायता करेगा; और जहाँ, उसे वाहिनी के प्रधान के रूप में रखा जाय वहाँ उसे समादेष्टा के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा और उसे केवल उन्हीं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करना होगा, जो उसे सुसंगत नियमों के अधीन प्रतिनिधानित की जायं।

(3) द्वितीय-समादेश के रूप में, उप समादेष्टा, वाहिनी के समादेष्टा के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने के लिए उत्तरदायी होगा। वह अपने अधीन कार्मिकों की दक्षता, अनुशासन और मनोबल के लिए उत्तरदायी होगा और उसे सौंपे गये उपक्रम या उसके आंशिक भाग की सुरक्षा के लिये भी उत्तरदायी होगा।

(4) उसे ऐसे किसी अन्य कर्तव्य का निष्पादन करना होगा जिसे समादेष्टा और बल के विभागाध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ पर्यवेक्षण अधिकारियों द्‌वारा समय-समय पर सौंपा जाय।

(च) सहायक समादेष्टा के कर्तव्य-

(1) सहायक समादेष्टा को वाहिनी के समादेष्टा और उप समादेष्टा की सहायता करनी होगी; और जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से प्रतिकूल निदेश न दिया जाय तब तक उसे समादेष्टा के कृत्यों का निष्पादन करना होगा, जब समादेष्टा द्‌वारा ऐसी अपेक्षा की जाय। वह अपने अधीन कार्मिकों की दक्षता, अनुशासन और मनोबल के लिए उत्तरदायी होगा और उपक्रम, अधिष्ठान तथा

		व्यक्तिगत सुरक्षा से सम्बन्धित सौंपे गये कर्तव्यों के लिए भी उत्तरदायी होगा। (2) उसे ऐसे किसी अन्य कर्तव्य का भी निष्पादन करना होगा जिसे समादेष्टा समय-समय पर सौंपे। **(छ) सैन्य सहायक के कर्तव्यः** 1. सैन्य सहायक, समादेष्टा का स्टाफ अधिकारी होगा तथा इस रूप में उसके द्वारा दिये गये समस्त आदेशों का अनुपालन उसी प्रकार किया जायेगा, मानों समादेष्टा द्वारा स्वयं दिये गये हों। 2. समादेष्टा के प्रशासनिक एवं प्रचालन सहायक के रूप में वह वाहिनी में अधीनस्थ अधिकारियों तथा अवर अधिकारियों में उच्चतम स्तर का अनुशासन, उपस्थिति नियमों और स्थायी आदेशों का अनुपालन, उनके कर्तव्यों का दक्ष एवं निष्पक्ष आवंटन अनुरक्षित करने हेतु उत्तरदायी होगा। 3. वह ऐसे समस्त अन्य कर्तव्यों का भी निष्पादन करेगा, जिन्हें समादेष्टा समय-समय पर सौंपे।
बल के लिये भर्ती	**10**	**1. प्रतिनियुक्ति-** (क) बल का गठन हो जाने पर प्रारम्भिक 03 वर्षों हेतु, बल में समस्त पदों को, विभागाध्यक्ष द्वारा विहित की गयी अर्हताओं/ सन्नियमों/ मानकों के आधार पर प्रादेशिक सशस्त्र रक्षीदल और नागरिक पुलिस के पात्र कार्मिकों को प्रतिनियुक्त करके, भरा जायेगा। बल की सम्पूर्ण महिला सदस्य मात्र प्रतिनियुक्ति से स्रोतित की जायेंगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष होगी जिसे अग्रतर अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। (ख) प्रथम सीधी भर्ती पर, सीधी भर्ती के माध्यम से सदस्यों की प्रतिनियुक्ति पर सदस्यों का अनुपात लगभग 70:30 स्तर तक, द्वितीय भर्ती के पश्चात् इसे लगभग 50:50 स्तर तक और तृतीय भर्ती के पश्चात् इसे लगभग 30:70 स्तर तक लाया जायेगा और उक्त 30:70 का अनुपात स्थायी रूप से तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा विनिश्चय न करे। (ग) विशेष सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति पर लिए गये सदस्यों को उनके मूल विभागों को निम्नलिखित रूप से संप्रत्यावर्तित कर दिया जायेगाः- एक- नीचे उल्लिखित आयु प्राप्त कर लेने पर (क) आरक्षी - 40 वर्ष (ख) मुख्य आरक्षी -42 वर्ष (ग) उपनिरीक्षक/निरीक्षक -45 वर्ष अथवा

		दो- जब विभागाध्यक्ष का यह समाधान हो जाय कि प्रशासनिक आधार पर ऐसा संप्रत्यावर्तन करना समीचीन है। (घ) बल में प्रतिनियुक्ति के मानकों एवं प्रक्रिया का अवधारण, पुलिस महानिदेशक द्वारा लागू नियमों के अनुसार किया जायेगा। 2. **सीधी भर्ती-** (क) ऐसे पुरूष अभ्यर्थी, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग न हों, आरक्षी एवं उपनिरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे। नीचे अधिमानी अर्हताओं के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, विशेष सुरक्षा बल में उपरोक्त पदों पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) तथा तत्समय प्रवृत्त प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के लिए लागू अन्य समस्त नियमों द्वारा शासित होगी। (ख) **अधिमानी अर्हतायें-** समस्त वांछित मानदण्डों के समान रहने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान प्रदान किया जायेगा, जिनके पासः- (एक) डीओईएससी/ एनआईईएलटी सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र हो; या (दो) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष तक सेवा की हो, या (तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) का "बी" स्तर का प्रमाण-पत्र हो। **टिप्पणीः-** उपर्युक्त उल्लिखित अधिमानी अर्हताओं के कोई अंक नहीं होंगे, किन्तु यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में अधिमान प्रदान किया जाएगा।

बल के मुख्यालय/ विभिन्न कार्यालयों पर सहायक कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति	11	(1) लिपिक वर्गीय शाखा, परिवहन शाखा, आरमोरर शाखा एवं पुलिस रेडियो शाखा के पद, उत्तर प्रदेश पुलिस/ प्रादेशिक सशस्त्र रक्षी दल के "सामान्य संवर्ग पूल" से स्थानान्तरण द्वारा भरे जायेंगे। (2) चतुर्थ श्रेणी (समूह 'घ') के पद, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस/ प्रादेशिक सशस्त्र रक्षी दल में समूह 'घ' की भर्ती हेतु प्रचलित नियमावली/ विनियमावली के अनुसार भरे जायेंगे । (3) चिकित्सा अधिकारियों, फार्मासिस्ट के पद, उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे।
पदोन्नति	12	बल में विभिन्न रैंकों के विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए नियमावली वही होगी जैसाकि तत्समय उत्तर प्रदेश पुलिस/ प्रादेशिक सशस्त्र रक्षी दल में प्रचलित हो।
प्रशिक्षण	13	(1) चयनित अभ्यर्थियों से विहित प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। प्राथमिक प्रशिक्षण अवधि 9 माह की होगी, जिसमें से आधारभूत प्रशिक्षण अवधि 06 माह की होगी तथा विशिष्ट प्रशिक्षण अवधि 03 माह की होगी। 03 माह की अवधि के विशिष्ट प्रशिक्षण में स्नाइपर, बी0डी0डी0एस0, ए0एस0चेक और कमाण्डो आदि के प्रशिक्षण सम्मिलित होंगे, जैसाकि प्रशिक्षण मुख्यालय द्वारा विभागाध्यक्ष के अनुरोध पर और उसके साथ समन्वय करके अवधारित किया जाय। यदि कोई चयनित अभ्यर्थी विहित समय-सीमा के भीतर प्रशिक्षण हेतु रिर्पोट नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा। (2) चयनित अभ्यर्थियों के पाठ्यक्रम और प्राथमिक प्रशिक्षण स्थल का निर्धारण, विभागाध्यक्ष के अनुरोध पर और उसके साथ समन्वय करके किया जायेगा। (3) प्राथमिक प्रशिक्षण में असफल रहने वाले कैडेटों के लिए विभागाध्यक्ष अनुपूरक प्रशिक्षण देने के पश्चात् एक पुन: परीक्षा आयोजित करेगा। अनूपूरक प्रशिक्षण में असफल रहने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की सेवायें समाप्त करने की कार्यवाहियां प्रारम्भ करेगा। (4) पुनश्चर्या प्रशिक्षण:- प्राथमिक प्रशिक्षण के पश्चात् प्रत्येक 05 वर्ष पर 06 सप्ताह की अवधि का एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। वार्षिक चिकित्सा परीक्षण और वार्षिक फायरिंग अभ्यास कराया जायेगा।

		फायरिंग परीक्षा में असफल रहने वालों को एक और अवसर दिया जायेगा किन्तु पुन: परीक्षा में असफल होने के फलस्वरूप उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की जायेंगी। (5) नियम 12 के अधीन पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।
बल का अधीक्षण और प्रशासन	14	(1) बल का अधीक्षण पुलिस महानिदेशक में निहित होगा और बल का समादेश, पर्यवेक्षण तथा प्रशासन अपर बल महानिदेशक, में निहित होगा। (2) यथा अधिसूचित स्थानीय सीमाओं के भीतर बल का प्रशासन इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और व्यक्ति (व्यक्तियों) के निकाय तथा/या राज्य सरकार द्वारा नाम, नामावली या श्रेणी द्वारा अधिसूचित उसके आवासीय परिसर; माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा लखनऊ , जिला न्यायालयों तथा राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य न्यायालय, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उपक्रमों, धार्मिक स्थलों, प्रशासनिक परिसरों, मेट्रो, हवाई अड्डों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं ; राज्य सरकार या अपर महानिदेशक द्वारा इस निमित्त दिये जाने वाले किसी निदेश के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ इस रूप में अधिसूचित किन्हीं अन्य प्रतिष्ठानों या अधिष्ठानों की संरक्षा तथा सुरक्षा के प्रभार में रखे गये प्रत्येक पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। (3) जिला पुलिस अधीक्षक को बल के पर्यवेक्षण अधिकारी के समन्वय में अपनी अधिकारिता के भीतर बल की कार्य प्रणाली का सामान्य पर्यवेक्षण करने की शक्ति होगी।
निजी अधिष्ठानों को सेवायें प्रदान करने हेतु बल का अभिनियोजन	15	(1) अधिनियम की धारा 7 के अधीन निजी अधिष्ठानों द्वारा सेवाए प्राप्त किये जाने हेतु अनुरोध किये जाने पर अपर बल महानिदेशक को एक समिति गठित करनी होगी, जिसकी अध्यक्षता उप महानिरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी द्वारा की जायेगी जो उक्त अनुरोध का परीक्षण करायेगा। अपर बल महानिदेशक अपनी स्पष्ट राय पुलिस महानिदेशक को अग्रसारित करेगा, जो उक्त रिर्पोट पर अन्तिम विनिश्चय करेगा। (2) अभिनियोजित किये जाने वाले बल के लिए निजी औद्योगिक अधिष्ठानों या निजी क्षेत्र के अधिष्ठानों से वसूल की जाने वाली अनुमानित कुल लागत का अवधारण, निम्नलिखित आधार पर किया जायेगा :- **(क) आवर्ती व्यय** एक -वेतन और भत्ते दो -वर्दी तथा उपस्करों पर वार्षिक व्यय तीन - यात्रा भत्ते

		चार- आकस्मिकता व्यय पांच- पेंशन अभिदान छः - अवकाश वेतन सात -प्रशासनिक या पर्यवेक्षण प्रभार आठ -सामूहिक बीमा नौ- वार्षिक फायरिंग अभ्यास हेतु गोला बारूद पर व्यय दस- अन्य छोटे मोटे व्यय ग्यारह - यान, ईधन तेल, लुब्रीकेन्टस बारह -कार्यालय व्यय तेरह -चिकित्सा व्यय चौदह -राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित संदेय कोई अन्य व्यय । **(ख) अनावर्ती व्यय** एक - प्रशिक्षण व्यय दो - वर्दी तथा उपस्करों पर व्यय तीन- रैंक तथा मानकों के अनुसार अपेक्षित शस्त्र / गोला बारूद चार- आवासीय/ प्रशासनिक भवन। **(ग)** प्रत्येक रैंक हेतु प्रभारित किये जाने वाले व्ययों की गणना वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा की जायेगी और अपर महानिदेशक, विशेष सुरक्षा बल द्वारा पुलिस महानिदेशक की संस्तुति प्राप्त करने के पश्चात् इसका अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त किया जायेगा। प्रभारित किये जाने वाले व्ययों की गणना का पुनरीक्षण, प्रतिवर्ष एक अप्रैल को किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित प्रभारों के आधार पर ऐसे निजी प्रतिष्ठानों, जिन्हें उप-नियम (1) के अधीन बल उपबंधित किया जायेगा, से यथा अवधारित धनराशि प्रभारित की जायेगी। (घ) अपर बल महानिदेशक के लिए किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षानुसार पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन से प्रतिपूर्ति प्रभारों को पुनरीक्षित करना विधि सम्मत होगा। प्रभारित किये जाने वाले ऐसे पुनरीक्षित व्यय प्रतिपूर्तियों का अनुमोदन, सरकार से प्राप्त किया जायेगा।
बल के सदस्यों के कर्तव्य	**16**	(1) अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित कर्तव्यों के अतिरिक्त बल के अधीनस्थ अधिकारियों तथा अन्य सदस्यों के कर्तव्य निम्नानुसार होंगे :- **(क)** सूबेदार सैन्य सहायक , प्रतिसार निरीक्षक, निरीक्षक, शिविरपाल, सूबेदार शिविरपाल, उपनिरीक्षक, हवलदार, मुख्य आरक्षी, आरक्षी तथा लाइन पुलिस आदि के कर्तव्य निम्नानुसार होंगे:-

		(एक) वे ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे जैसाकि विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा ; (दो) वे अधिनियम की धारा 8 के अधीन संख्यांकित कर्तव्य करने के उद्देश्य से बल में उच्च स्तरीय वृत्तिक क्षमता, सक्षमता, सतर्क तत्परता , मानक वृत्तिक प्रक्रिया अनुपालन, अनुशासन,ज्ञान,कौशल तथा मनोवृत्ति को सुनिश्चित करेंगे ; (तीन) वे पर्यवेक्षण अधिकारियों के निदेशानुसार समस्त कर्तव्य करेंगे। **(2)** अन्य पदों, जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत या सृजित किये गये हों अथवा समय-समय पर स्वीकृत या सृजित किये जा सकेंगे, के लिए कर्तव्य, अपर बल महानिदेशक द्वारा किसी पृथक आदेश से समनुदेशित किये जायेंगे।
विशेष प्रचालन टीमों के कर्तव्य	17	**(1) प्रभारी परिसर सुरक्षा टीम :-** (क) निरीक्षक / उप निरीक्षक रैंक का एक ऐसा अधिकारी होगा, जो अपने अधीनस्थों के सहयोग से किसी आवासीय परिसर, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा लखनऊ, जिला न्यायालय अथवा राज्य सरकार द्वारा उसकी सुरक्षा तथा संरक्षा हेतु अधिसूचित किसी अन्य परिसर की भूगृहादि - सम्बन्धी सुरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। (ख) वह परिनिश्चित क्षेत्र की सुरक्षा हेतु सुरक्षा योजना के अनुसार एक मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार करेगा और उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कराकर मानक प्रचालन प्रक्रिया का कियान्वयन सुनिश्चित करेगा। (ग) वह ड्यूटी स्थल पर एक ड्यूटी रजिस्टर तथा भू-गृहादि की सुरक्षा हेतु जांच रजिस्टर अनुरक्षित रखेगा और स्वयं प्रतिदिन रजिस्टर अवलोकित करेगा। (घ) वह भू-गृहादि में प्रत्येक स्थल के लिए अभिकल्पित मानक प्रचालन प्रक्रिया अनुरक्षित करेगा और समस्त मोर्चा ड्यूटीयों तथा अन्य समुचित ड्यूटी स्थलों के लिए स्थायी आदेश किया जाना सुनिश्चित करेगा । (ड़) वह किसी आपात स्थिति में तत्काल मानक प्रचालन प्रक्रिया का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा और अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को स्थिति के संम्बंध में तत्काल संदेश देना सुनिश्चित करेगा। (च) टीम द्वारा संरक्षित भू-गृहादि में कोई अपराधिक घटना घटित होने की स्थिति में उसे विधि द्वारा स्थापित अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा और स्थिति पर नियंत्रण रखने हेतु अपना सर्वोत्तम प्रयास करना होगा तथा स्थानीय पुलिस थाना को तत्काल सूचित करना होगा।

		(छ) वह अपनी टीम में अनुशासन तथा वृत्तिक सक्षमता के उच्च मानकों को अनुरक्षित हेतु उत्तरदायी होगा और समय- समय पर अपनी टीम को प्रशिक्षित करना, संक्षिप्तीकरण करना तथा स्थलीय माक ड्रिल करना व पूर्वाभ्यास करना सुनिश्चित करेगा। (ज) वह समय- समय पर अपनी टीम के समस्त सदस्यों की ड्यूटियों की जांच किया जाना सुनिश्चित करेगा और ड्यूटी में लापरवाह पाये गये कार्मिकों के सम्बंध में रिर्पाट अपनी वाहिनी के प्रभारी राजपत्रित अधिकारी को तत्काल देगा । (2) **प्रभारी व्यक्तिगत सुरक्षा टीम प्रभारी** **(क)** निरीक्षक/ उप निरीक्षक रैंक का एक ऐसा अधिकारी होगा जो अपने अधीन वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्तिगत सुरक्षा ऐसे व्यक्तियों जो श्रेणीकृत सुरक्षा के अन्तर्गत उच्च पदस्थ व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित हों, को अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति जिसे राज्य सरकार या सक्षम न्यायालय के निदेशों के अनुसार सुरक्षा दी जानी हो, को प्रदान की जाय ; **(ख)** वह समय-समय पर अपनी टीम के समस्त सदस्यों की ड्यूटियों की जांच किया जाना सुनिश्चित करेगा और ड्यूटी में लापरवाह पाये गये कर्मियों के सम्बंध में रिपोर्ट अपनी वाहिनी के प्रभारी राजपत्रित अधिकारी को तत्काल देगा; **(ग)** वह अपनी टीम के अनुशासन तथा वृत्तिक सक्षमता के उच्च मानकों को अनुरक्षित रखने हेतु उत्तरदायी होगा और समय-समय पर अपनी टीम को प्रशिक्षित करना, संक्षिप्तीकरण करना , स्थलीय माक ड्रिल करना तथा पूर्वाभ्यास करना सुनिश्चित करेगा। **(घ)** वह, संरक्षित उच्चपदस्थ व्यक्तियों के जीवन की खतरा सम्बंधी आशंका को दृष्टिगत रखते हुये अपनी टीम तैयार करेगा और समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों में कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए अपने टीम सदस्यों के मध्य सक्षमता विकसित करेगा; (3) **प्रभारी क्विक रिस्पान्स टीम** (क) निरीक्षक/ उप निरीक्षक रैंक का एक ऐसा अधिकारी होगा जो अपनी टीम के साथ किसी आपात स्थिति यथा आतंकी हमला/ कानून-व्यवस्था की समस्या अथवा किसी अन्य आपात स्थिति में वाहिनी के राजपत्रित अधिकारी द्वारा किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने का आदेश दिये जाने पर ऐसे स्थान पर पहुंचकर तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अग्रतर प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही करेगा;

		(ख) वह यह सुनिश्चित करेगा कि किसी प्रचालन के दौरान उसकी टीम के सभी सदस्य वर्दी में रहेंगे और उन्हें समस्त उपस्करों तथा आयुधों से सुसज्जित होना चाहिए और पूर्णतः तैयार होना चाहिए और उन्हें किसी आपात स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली स्थितियों का सामना करने हेतु विहित रूपों में सामरिक दृष्टि से जवाब देना चाहिए। (ग) वह अपनी टीम में अनुशासन तथा वृत्तिक सक्षमता के उच्च मानकों को अनुरक्षित रखने हेतु उत्तरदायी होगा और समय- समय पर अपनी टीम को प्रशिक्षित करना, संक्षिप्तीकरण करना, स्थलीय माक ड्रिल करना तथा पूर्वाभ्यास करना सुनिश्चित करेगा। (घ) वह सम्भावित खतरों का जवाब देने हेतु मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार अपनी टीम को तैयार रखेगा और तदनुसार सभी प्रकार की प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने हेतु टीम सदस्यों के मध्य वृत्तिक कौशल विकसित करेगा; **(4) डाग स्क्वाड सहित प्रभारी बम डिटेक्शन एण्ड डिस्पोजल स्क्वाड (बी0डी0डी0एस0) :-** (क) निरीक्षक/ उप निरीक्षक रैंक का एक ऐसा अधिकारी होगा जो वाहिनी के राजपत्रित अधिकारी के निदेश के अनुसार किसी विस्फोटक पदार्थ के विद्यमान होने की संभाव्यता की मानक प्रक्रिया के अनुसार अपनी टीम द्वारा किसी विनिर्दिष्ट स्थान की जाँच कराना सुनिश्चित करेगा और यदि कोई विस्फोटक पदार्थ पाया जाता है तो वह उसे निष्क्रिय करने की कार्यवाहियाॅ करेगा; (ख) वह डाग स्कवायड का भी प्रभारी होगा और प्रशिक्षित श्वान/श्वानों से किसी विनिर्दिष्ट स्थान की मानक जांच कराना सुनिश्चित करेगा ; (ग) बी0डी0डी0एस0 टीम अपने प्रभारी के निदेश के अधीन कार्य करेगी और उक्त टीम ऐसे समस्त आदेशों तथा अनुदेशों का अनुपालन करेगी जो वाहिनी के समादेष्टा अथवा उनके किसी अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रचालन ड्यूटी हेतु दिये जायं; (घ) विनिर्दिष्ट स्थान की जाँच के पश्चात प्रभारी बी0डी0डी0एस0 टीम उक्त स्थान को सुरक्षित स्थान के रूप में घोषित करेगा और विहित प्रक्रिया के अनुसार उक्त स्थान का प्रभार, प्रभारी सुरक्षा अधिकारी को सौंप देगी तथा किसी पृथक आदेश के माध्यम से अपर बल महानिदेशक द्वारा जारी विहित प्रारूप में ड्यूटी स्थल प्रभारी राजपत्रित अधिकारी को जाँच का विवरण प्रदान करेगी; (ङ) वह अपनी टीम में अनुशासन तथा वृत्तिक सक्षमता के उच्च मानकों को अनुरक्षित रखने हेतु उत्तरदायी होगा तथा समय-समय पर अपनी टीम को

		प्रशिक्षित करना, संक्षिप्तीकरण करना तथा स्थलीय माक ड्रिल करना व पूर्वाभ्यास कराना सुनिश्चित करेगा। **(5) प्रभारी एण्टी सेबोटाज (ए0एस0) चेक टीम** **(क)** निरीक्षक/ उप निरीक्षक / मुख्य आरक्षी रैंक का एक ऐसा अधिकारी होगा जो वाहिनी के राजपत्रित अधिकारी के निदेश के अनुसार किसी अवांछनीय वस्तु/ पदार्थ के विद्यमान होने की संभाव्यता की मानक प्रक्रिया के अनुसार अपनी टीम द्वारा किसी विनिर्दिष्ट स्थान की अग्रिम सुरक्षा जाँच कराना सुनिश्चित करेगी। **(ख)** ए0एस0 चेक टीम अपनी वाहिनी के प्रभारी के निदेश के अधीन अपना कर्तव्य सम्पादित करेगी और विशिष्टीकृत प्रचालनात्मक कर्तव्य के लिये ऐसे समस्त निदेशों/ अनुदेशों का अनुपालन करेगी जो वाहिनी के समादेष्टा अथवा उसके अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किये जायेंगे। **(ग)** विनिर्दिष्ट स्थान की जॉच के पश्चात टीम प्रभारी उक्त स्थान को सुरक्षित घोषित कर सम्बंधित ड्यूटी अधिकारी को उक्त स्थान/ अवस्थान सौंप देगा और एक पृथक आदेश के माध्यम से अपर बल महानिदेशक द्वारा जारी विहित प्रारूप पर ड्यूटी स्थल प्रभारी राजपत्रित अधिकारी को जाँच का विवरण देगा। **(घ)** वह अपनी टीम में अनुशासन तथा वृत्तिक सक्षमता के उच्च मानकों को अनुरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होगा और समय-समय पर अपनी टीम को प्रशिक्षित करना, सक्षिप्तीकरण करना, स्थलीय माक ड्रिल तथा पूर्वाभ्यास कराना सुनिश्चित करेगा। **(6) प्रभारी स्नाईपर टीम** **(क)** निरीक्षक/ उप निरीक्षक रैंक का एक ऐसा अधिकारी होगा जो अपने उच्च पदाधिकारियों के निदेश के अनुसार अपने स्नाईपर टीम द्वारा विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का निष्पादन कराया जाना तत्काल सुनिश्चित करेगा। **(ख)** उसकी टीम में स्नाईपर होंगे जो सुप्रशिक्षित शार्प शूटर होंगे। उक्त टीम, वाहिनी के समादेष्टा द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान के सम्बंध में रिपोर्ट सम्बंधित ड्यूटी प्रभारी राजपत्रित अधिकारी को देगी और सुरक्षा पहलुओं से सम्बंधित समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाना सुनिश्चित करेगी।
बल के सदस्यों की शक्तियां	**18**	बल में नियुक्त किये जाने और बल का सदस्य बने रहने के समय तक बल का प्रत्येक सदस्य पुलिस अधिकारी समझा जायेगा और वह ऐसी शर्तों, निर्बधनों तथा सीमाओं के अध्यधीन होगा जैसाकि विहित किया जाये, और उसके पास ऐसी समस्त शक्तियां, विशेष शक्तियां, उत्तरदायित्व

		अवरोध, दण्ड तथा संरक्षण होंगे तथा वह उनसे शासित होगा जैसाकि पुलिस अधिनियम, 1861 या तत्समय प्रवृत्त ऐसी किसी अन्य विधि के अधीन अथवा तद्धीन बनायी गयी किसी नियमावली या विनियमावली के अधीन नियुक्त पुलिस अधिकारियों के लिये लागू हों किन्तु ऐसी शर्तें, निर्बंधन तथा सीमायें उक्त अधिनियम के अधीन कृत आदेशों के प्रतिकूल न हों।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया	**19**	**(1)** गिरफ्तारी किये जाने में , अधिनियम की धारा **10** के अधीन :- **(एक)** बल का सदस्य, गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति के वस्तुत: शरीर को स्पर्श करेगा या परिरूद्ध करेगा। **(दो)** यदि ऐसा व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी का प्रयास किये जाने में बलपूर्वक प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो बल का सदस्य, गिरफ्तारी को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समस्त साधनों का उपयोग कर सकता है। बल प्रयोग किये जाने की दशा में उस विशिष्ट अवस्थिति में उसका न्यूनतम अपेक्षित प्रयोग किया जाना चाहिए। **(तीन)** गिरफ्तार किये गये व्यक्ति पर उसके बचकर भागने से रोकने की आवश्यकता से अधिक अवरोध नहीं किया जायेगा। **(चार)** गिरफ्तारी करने वाला बल का सदस्य ऐसे व्यक्ति की तलाशी कर सकता है और सभी वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है जिनके अन्तर्गत उसके पास पाये गये पहनने के आवश्यक वस्त्रों से भिन्न हथियार, यदि कोई हों सम्मिलित हैं। ऐसी समस्त वस्तुओं की एक सूची, कम से कम दो प्रतिष्ठित साक्षियों की उपस्थिति में और गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की उपस्थिति में तैयार की जायेगी और साक्षियों तथा तलाशी करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप में हस्ताक्षरित सूची की एक प्रति, उसकी प्राप्ति की रसीद तथा उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के पश्चात् इस प्रकार गिरफ्तार किए गये व्यक्ति को दी जायेगी। **(पांच)** इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और साथ ही साथ अभिग्रहण की गयी वस्तुओं और उनकी सूची को पुलिस अधिकारी या निकटतम पुलिस थाने को समय, दिनांक तथा गिरफ्तारी के कारणों को उल्लिखित करते हुए एक संक्षिप्त टिप्पणी के साथ सौंप दिया जायेगा।
तलाशी की प्रक्रिया	**20**	जब कभी अधिनियम की धारा **11** के अधीन किसी व्यक्ति और उसके सामानों की तलाशी ली जायेगी तब दो सम्मानजनक साक्षियों की

		उपस्थिति में एक सूची तैयार की जायेगी और उक्त साक्षीगण तथा तलाशी करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रति, सम्बन्धित व्यक्ति को सम्यक रसीद प्राप्त करने के बाद दी जायेगी। ऐसी तलाशी पर इस प्रकार पायी गयी सम्पत्ति भी उक्त व्यक्ति के साथ पुलिस को प्रेषित की जायेगी। यदि ऐसी तलाशी पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है तो सम्यक रूप से हस्ताक्षरित एक शून्य सूचीगत विवरण उक्त व्यक्ति के साथ पुलिस को प्रेषित किया जायेगा।
सेवा की निबन्धन एवं शर्तें	**21**	(1) बल के अराजपत्रित अधिकारियों और कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) और संयुक्त प्रान्तीय प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी ऐक्ट 1948 के अनुसार की जायेगी। (2) नियम 5 के उप-नियम (2) के खण्ड (क) में परिभाषित कार्यकारी बल के ऐसे सदस्यों, जो उक्त बल में सीधी भर्ती किये गये हैं अथवा ऐसे सदस्यों से अराजपत्रित रैंको पर प्रोन्नत हुए हैं, से एक पृथक संवर्ग सृजित किया जायेगा जिसे उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल संवर्ग के रूप में जाना जायेगा। इस संवर्ग के निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी और समकक्ष रैंको पर तैनात कार्मिक सरकार द्वारा गठित बल में वाहिनी स्तर, सेक्टर स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर गठित अधिष्ठान बोर्डों के आदेशों द्वारा बल के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित या तैनात किये जा सकते हैं। (3) जब सरकार की यह राय हो कि नियुक्त कार्मिक की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के क्रियान्वयन में किसी विशिष्ट मामले में कोई कठिनाई उत्पन्न हो गयी है तब वह ऐसे मामले में नियमावली पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और नियम की सीमाओं तथा शर्तों के अनुरूप ऐसा अधित्यजन या शिथिलीकरण प्रदान कर सकती है जैसा कि न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने हेतु अपेक्षित हो।
स्थायी आदेश आदि जारी करने की शक्ति	**22**	इस नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रचालनात्मक एवं सामरिक आवश्यकताओं, प्रशासनिक सुगमता, कार्य कुशलता तथा दक्षता संवर्द्धन को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन से अपर बल महानिदेशक स्थायी आदेश या पुस्तिका जारी कर सकता है।

बल हेतु वर्दी, यान/गाड़ी, शस्त्र और गोला-बारूद, उपस्कर	**23**	इस नियमावली के अधीन प्रदान की गयी पूर्वोक्त शक्तियों की परिधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आयुधों, साज-सज्जों, वस्त्रों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता का उपबंध निम्नानुसार किया जायेगाः- (1) वर्दी- (क) बल के सदस्यों द्वारा धारण की जाने वाली वर्दी की सामान्य विशेषतायें वही होंगी जैसाकि परिशिष्ट-01 में उल्लिखित हैं जबकि बल के प्रतीक /प्रतीक चिन्ह का सामान्य प्रारूप वही होगा जैसा कि परिशिष्ट-2 में दिया गया है और दाहिनी भुजा पर लगाया जाने वाला गठन चिन्ह वही होगा जैसाकि परिशिष्ट-03 में विहित है। (ख) उपरोक्त वर्दी के सम्बन्ध में, बल का अपर महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन पर, कपडे की तकनीकी विषेशताओं, वर्दी का अभिकल्प, सिलाई के अनुदेश, पहनावे की रीति, ऋतुओं के अनुसार परिवर्तनों आदि का विवरण प्रदान करते हुए, और प्रतीक चिन्ह तथा गठन चिन्ह के सम्बन्ध में आयाम और अन्य मापों रंग संगति, अभिकल्पों, बनाने की विधियों, आधारभूत सामग्रियों और धारण करने की रीतियों आदि का विवरण प्रदान करते हुए एक विस्तृत स्थायी आदेश /पुस्तिका जारी करेगा। (ग) पुलिस महानिदेशक बल के सदस्यों द्वारा धारण की जाने वाली वर्दी में संशोधन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा। (घ) सरकार द्वारा यथा विहित अलंकरणों के अतिरिक्त, पुलिस महानिदेशक बल के सदस्यों द्वारा धारण किये जाने वाले अलंकरणों यथा-विशिष्टीकृत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने पर, विहित पुनश्चर्या प्रक्रम आदि पूर्ण किये जाने पर विशिष्ट कर्तव्यों आदि का सम्पादन किये जाने पर और विशिष्टीकृत टीमों के प्रतीकों का चिन्हांकन किये जाने पर भिन्न भिन्न रिबनों (प्रतीकों) का अवधारण करेगा और बल के सदस्य इन अलंकरणों/प्रतीकों को यथा विहित रूप में वर्दी पर धारण करेंगे। (ड.) बल के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा धारण की जाने वाली वर्दी निम्नवत् होगी:- (एक) उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रचलित क्रियाशील वर्दी ; (दो) विशेष सुरक्षा बल हेतु विहित वर्दी ;

(च) बल के अराजपत्रित अधिकारियों द्वारा धारण की जाने वाली वर्दी निम्नवत् होगी:-

(एक) परिसर/भू-गृहादि सुरक्षा टीमों, क्यू आर टीमों, प्रशिक्षण रिजर्व टीमों, वाहिनी ड्यूटियों, एम0टी0 सेक्शनों, स्नाईपर्स तथा व्यक्तिगत सुरक्षा टीमों में ड्यूटी करने वाले समस्त सदस्य खाकी आधार वाले डिस्रप्टिव पैटर्न की सामग्री से विशेष रूप से अभिकल्पित वर्दी (डिजर्ट डिजिटल कैम्पलाग) धारण करेंगे। उक्त पद्धति का एक नमूना, विभागाध्यक्ष द्वारा सुरक्षित रूप से परिरक्षित रखा जायेगा। इस वर्दी के भाग स्वरूप एक काली/डी पी एम रंगवाली टोपी/बैरेट टोपी होगी जिस पर यू0पी0एस0एस0एफ0 का चिन्ह /प्रतीक कढ़ा होगा, धारण की जायेगी। इकाई समादेष्टा को यह सुनिश्चित करना होगा कि अधीनस्थ बल एक समय में एक ही तरह की टोपी धारण करे। डिसरप्टिव पैटर्न मैटेरियल की बनी शर्ट और पतलून टक-इन अवस्था में धारण किये जायेंगे और काली वेब बेल्ट द्वारा कसे रहेंगे। वर्दी की पेटी काले रंग की होगी तथा उसमें यथा विहित सीटी लगी होगी। बल के सदस्यगण पूर्वोक्त वर्दी के साथ सामरिक काले जूते और काले मोजे धारण करेंगे। शर्ट की वाँयी भुजा पर उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रचलित पहचान चिन्ह धारण किया जायेगा। शर्ट के दाहिने पाकेट के ऊपर कपड़े की काली पट्टिका पर सफेद रंग से कढ़ी हुयी नाम पट्टिका शर्ट से सिली हुयी धारण की जायेगी। विशेष सुरक्षा बल के सभी सदस्य दाहिनी भुजा पर बल का गठन चिन्ह सिली हुयी रीति में धारण करेंगे और टीम का पहचान चिन्ह दाहिनी जेब पर सिली हुयी रीति में धारण करेंगे, सदस्यगण दोनों भुजाओं पर ऊपर की तरफ 'वाहिनी पहचान पट्टिका' उदाहरणार्थ *II BN* सिली हुयी धारण करेंगे। इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप से स्थायी आदेश विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया जायेगा। कन्धों पर धारण किये जाने वाले रैंक बैजेज़ कढ़ाईयुक्त होंगे; किसी धातु के बैजेज़/ अलंकरण फील्ड ड्यूटी के दौरान धारण नहीं किये जायेंगे। कन्धों पर उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रचलित बिल्ला (क्रेस्ट) (एम ओ आई जेड ओ आई क्यू ओ ½) धारण किया जायेगा। वर्दी के शर्ट एवं पतलून में प्रचालनात्मक सुविधा हेतु बटन के साथ 'वेल्क्रो टेप' उपबन्धित किये जायेंगे।

अन्य अलंकरण यथा- पदक, प्रशंसा चिन्ह, प्रशिक्षण पदक/रिबन, तैनाती रिबन इत्यादि यथाविहित रूप में शर्ट की बायीं अथवा दाहिनी जेब पर धारण किये जायेंगे।

(दो) उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल में तैनात बी0डी0डी0एस0 मय डाग स्क्वाड

		टीम तथा ए0एस0चेक टीम के सदस्य ग्रीष्मकालीन ऋतु में आधी बांह की ग्रे-ब्लैक रंग की प्लेन (Pantone 18-4005 TCX) सफारी ड्रेस धारण करेंगे तथा शीतकालीन ऋतु में उसी रंग की प्लेन कपड़े की पैन्ट व पूरी बांह की शर्ट व ब्लेज़र धारण करेंगे। (छ) विभागाध्यक्ष विशेष सुरक्षा बल का झण्डा पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन से अवधारित करके एक स्थायी आदेश जारी करेगा। (2) **यान /गाड़ी** पुलिस महानिदेशक या अपर बल महानिदेशक बल की आवश्यकताओं के अनुरूप अपेक्षित यानों/गाडियों की संख्या एवं प्रकार का समय समय पर अवधारण करेगा और इन्हे राज्य सरकार के अनुमोदन से बेड़े में सम्मिलित किया जायेगा। (3) **आयुध और गोला-बारूद** पुलिस महानिदेशक या अपर महानिदेशक, विशेष सुरक्षा बल, बढती हुई सुरक्षा चुनौतियों और बल की अपेक्षाओं के अनुरूप आधुनिक तथा प्रौद्योगिकीय रूप से, उन्नत आयुधों की मात्रा तथा प्रकार का समय समय पर अवधारण करेगा और इन्हें सरकार के अनुमोदन से बल में संस्थापित किया जायेगा। (4) **उपस्कार** पुलिस महानिदेशक या अपर महानिदेशक, विशेष सुरक्षा बल, बढ़ती हुई सुरक्षा चुनौतियों और बल की अपेक्षाओं के अनुरूप अत्याधुनिक उपस्करो की संख्या तथा प्रकार का समय समय पर अवधारण करेगा और यह कि इन्हे राज्य सरकार के अनुमोदन से बल में सम्मिलित किया जायेगा।
बल की जनशक्ति में वृद्धि	**24**	अधिनियम की धारा 9 के अधीन बल के वास्तविक अभिनियोजन के दौरान या अन्यथा, पुलिस महानिदेशक का यह समाधान हो जाने पर कि बल की सदस्य संख्या में तत्समय अतिरिक्त जनशक्ति का बढ़ाया जाना आवश्यक है तो वह ऐसी बल की जनशक्ति में वृद्धि करने के लिए प्रादेशिक सशस्त्र रक्षी दल और / अथवा नागरिक पुलिस से ऐसी संख्या में तथा ऐसी समयावधि के लिए, बल में अभिनियोजित किये जाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर सकता है जैसा कि वह आदेश दे।
व्यावृत्ति	**25**	इस नियमावली में किसी बात का प्रभाव, ऐसे आरक्षणों और अन्य

		रियायतों पर नही पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अधिनियमों और आदेशों के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना वांछित हो।
अध्यारोही खण्ड	**26**	सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या जारी किये गये शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, इस नियमावली के अधीन उपबंध अभिभावी होंगे।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)

अपर मुख्य सचिव।

(

परिशिष्ट - 01
(नियम-23 देखिये)

1- यू0पी0 एस0एस0एफ0 हेतु वर्दी
क- राजपत्रित अधिकारी-
(एक) उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रचलित क्रियाशील वर्दी
(दो) विशेष सुरक्षा बल हेतु विहित वर्दी
ख- अराजपत्रित अधिकारी/ कार्मिक -विशेष सुरक्षा बल हेतु विहित वर्दी

विशेष सुरक्षा बल हेतु विहित वर्दी

क्र0सं0	वर्दी	धारित करने वाले अधिकारी/कर्मचारी
1	डी.पी.एम. वर्दी (Disruptive Pattern Material)	1.परिसर सुरक्षा टीम 2.क्यू0आर0 टीम 3.प्रशिक्षण रिर्जव टीम 4.वाहिनी ड्यूटी 5.एम0टी0 सेक्शन 6.स्नाइपर्स 7.व्यक्तिगत सुरक्षा टीम
2	सादा परिधान क- ग्रीष्मकालीन-हाफ बांह की सफारी ख- शीतकालीन-पैण्ट शर्ट व ब्लेजर (उ0प्र0पु0 में प्रचलित)	1-बीडीडीएस मय डाग स्क्वायड टीम 2-ए0एस0चेक टीम

2. **वर्दी का प्रस्तावित पैटर्न**
   1- खाकी आधारित डीपीएम वर्दी- (Disruptive Pattern Material)
   2- टोपी-फोरेज कैप/ बेरेट कैप (Headgear)
   3- सामरिक शर्ट (Tactical shirt)
   4- बेल्ट (Belt)
   5- सामरिक पतलून (Tactical Pants)
   6- सामरिक काले जूते /मोजे (Tactical Shoes /Socks-Black)
   7- दस्ताने (Gloves)
   8- मोजे (Socks)
   9- मौसमी ओवर कोट (Seasonal Over coat)
   10- गीयर पैक (Gear Pack)
   11- दंगा रोधी गियर (Anti Riot Gear)

3. **यूनिफार्म के अटैचमेन्ट**
   - वर्दी के खुलने/बन्द होने वाले स्थानों पर वेलक्रो
   - वर्दी में UPSSF का इन्ब्रायडर्ड बैज
   - वर्दी में UP POLICE का इन्ब्रायडर्ड फार्मेशन साइन
   - इन्ब्रायर्ड फोरेज/बेरेट ब्लैक कैप
   - वेब बेल्ट(ब्लैक)

परिशिष्ट- 01
शर्ट का तकनीकी आरेखण

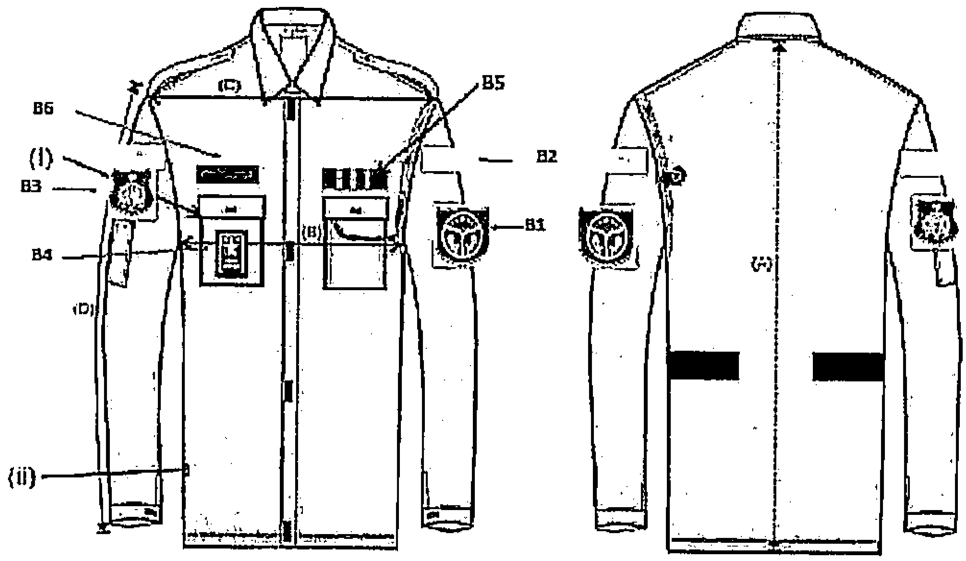

B1	उ.प्र. पुलिस प्रतीक चिन्ह
B2	वाहिनी आईडी
B3	उ.प्र. एस . एस . एफ प्रतीक चिन्ह
B4	टीम आईडी
B5	रिबन
B6	नाम पट्टिका

वस्त्र की माप का चार्ट (सेमी मे)

SIZE		M	L	XL	2XL
BACK LENGTH	(A)	73	75	77	80
CHEST 1/2	(B)	54	56	60	62
SHOULDER	(C)	45	50	52	54
SLEEVE LENGTH	(D)	61	61	62	63

पॉकेट की माप का चार्ट (सेमी मे)

CHEST PKT	(i)	14x15	FLAP	14.5x6
SIDE CROSS PKT	(iii)	20x33		
BACK PKT	(iv)	15x16	FLAP	15.5x6
KNEE PKT	(v)	16x17	FLAP	16.5x6

परिशिष्ट- 01

ट्राउजर का तकनीकी रेखा चित्र

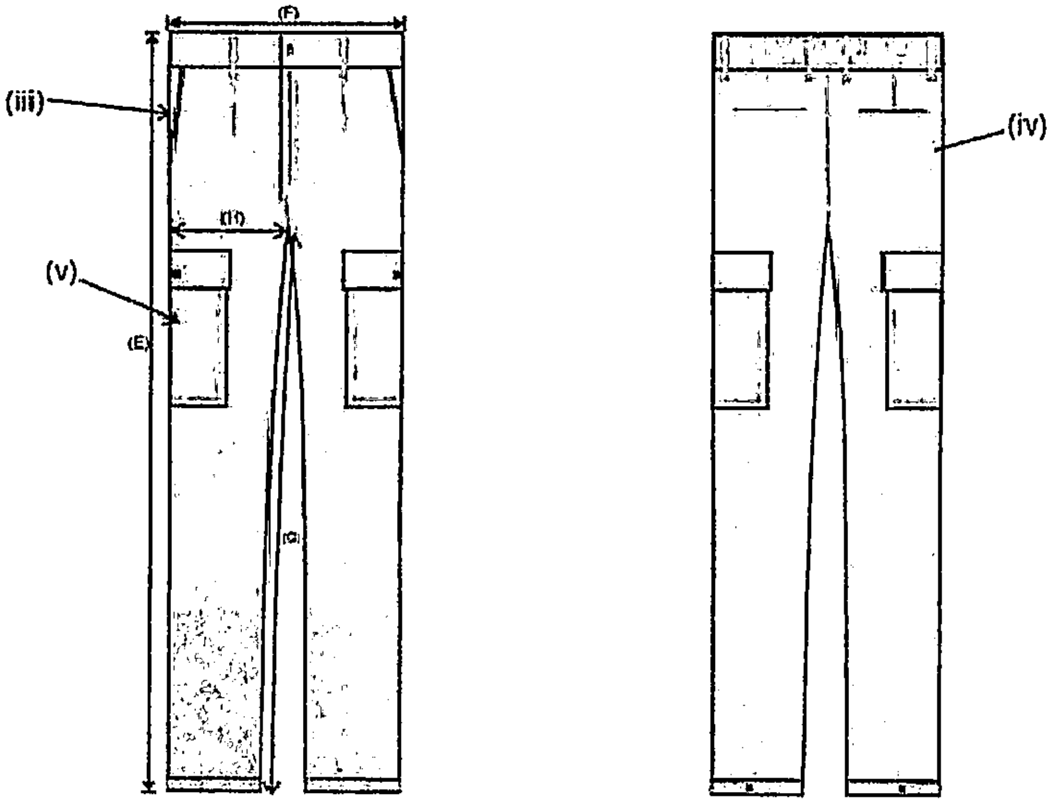

वस्त्र माप चार्ट (से0मी0 में)

LENGTH + BELT	(E)	108	111	112	113
INSEAM	(F)	77	78	78	79
WAIST 1/2	(G)	40	43.50	46	48.50
THIGH 1/2	(H)	33	34	35	35

पाकेट माप चार्ट (से0मी0 में)

CHEST PKT	(i)	14x15	FLAP		14.5X6
LOWER WAIST PKT	(ii)	16x17	FLAP		16.5X6
SIDE CROSS PKT	(iii)	20x33			
Back Concealed Pkt	(iv)	15x16			
KNEE PKT	(v)	16x17	FLAP		16.5X6
NAME PATCH	(vi)	2.5x10			

<u>परिशिष्ट- 02</u>

<u>उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल हेतु प्रतीक चिन्ह (Insignia)</u>

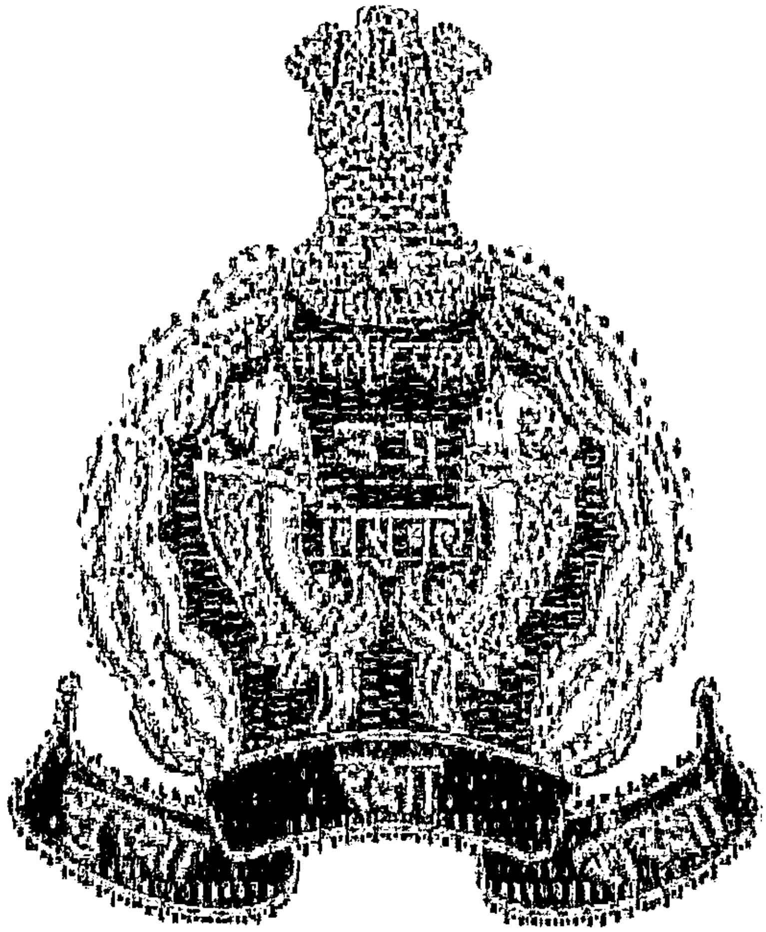

परिशिष्ट-03

(नियम 23 देखिए)

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल हेतु गठन चिन्ह (Formation sign)

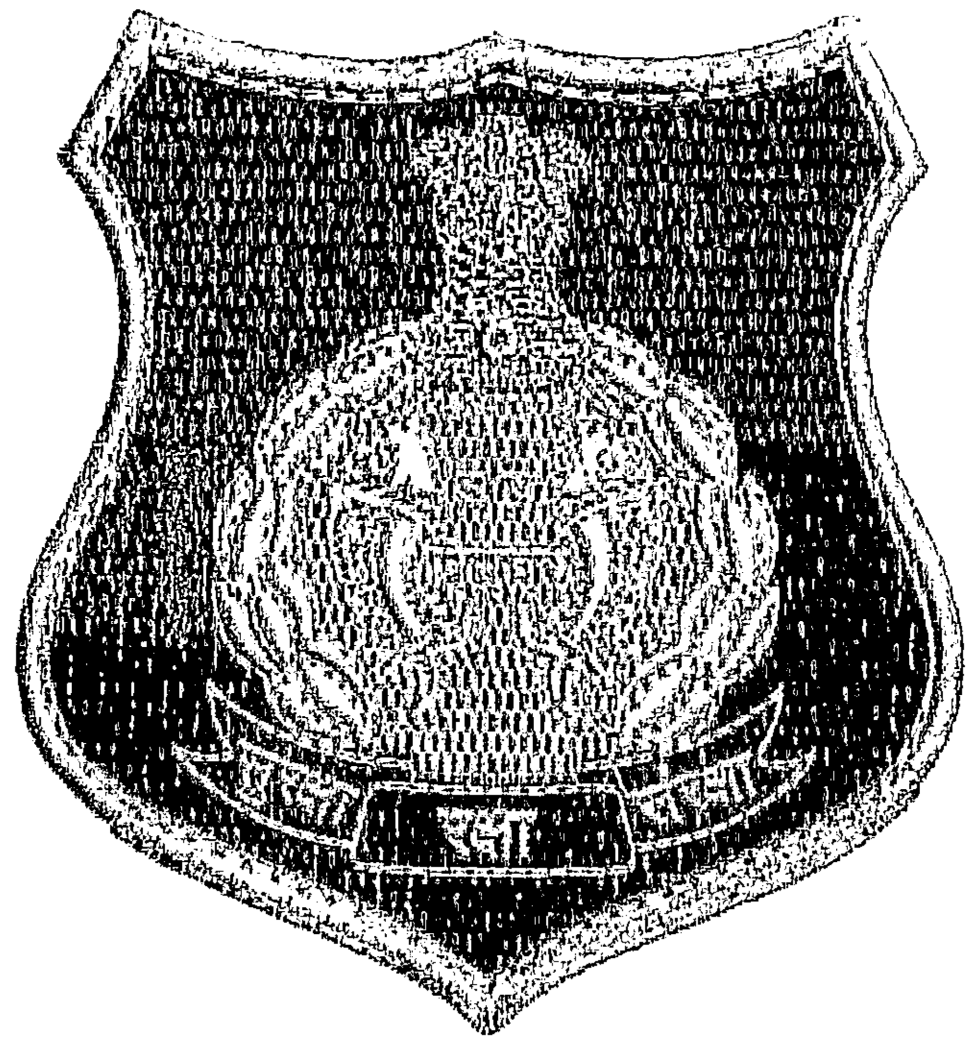

Uttar Pradesh Shasan
Grih (Police) Anubhag-6

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 402 p/ vi-pu-6-2021-02Vividh/ 2020 dated March 26, 2021:

Notification

No. 402 p/vi-pu-6-2021-02 Vividh/ 2020
Lucknow: Dated: March 26 , 2021

In exercise of the powers conferred by section 17 of the Uttar Pradesh Special Security Force Act, 2020 (U.P. Act no. 27 of 2020), the Governor is pleased to make the following rules for the purpose of regulating the constitution, appointments, recruitments, superintendence, administration, deployment, powers of the members, etc. of the Uttar Pradesh Special Security Force, namely:-

UTTAR PRADESH SPECIAL SECURITY FORCE RULES, 2021

Short title, extent and commencement	1	(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Special Security Force Rules, 2021" (2) **They shall be extend** in whole of the State of Uttar Pradesh. (3) **They** shall come into force on the date of their publication in the Gazette.
Definitions	2	In these rules, unless the context otherwise requires -
	(1)	(a) **"Act"** means the Uttar Pradesh Special Security Force Act, 2020; (b) **"Additional Director General of Police"**, "Inspector General of Police", "Deputy Inspector General of Police", "Superintendant of Police"/"Commandant", "Additional Superintendant of Police"/ "Deputy Commandant", "Deputy Superintendant of Police"/ "Assistant Commandant" means police officers appointed by the Government to Headquarters, Sector offices and Battalions of Uttar Pradesh Special Security Force; (c) **"Appointing Authority"** in matters of Inspectors and Sub-Inspectors means the Deputy Inspector General of Police and in the matters of Head Constables, Constables and Class Four(Group 'D') Superintendant of Police or Commandant, as the case may be; (d) **"Citizen of India"** means a person who is or deemed to be citizen of India under Part-II of the Constitution of India; (e) **"Director General of Police"** means the person appointed as the Director General of Police by the State Government as

		the head of the Uttar Pradesh Police Force; (f) "**Establishment**" means building, premises or campus being used in connection with the affairs of any organization serving educational, commercial, recreational purposes; (g) "**Force**" means the Uttar Pradesh Special Security Force constituted under section 3 of the Act; (h) " **Government**" means the Government of Uttar Pradesh; (i) "**Governor**" means the Governor of State of Uttar Pradesh; (j) "**Head of the Department**" means the officer appointed as the Head of Uttar Pradesh Special Security Force by the Government; (k) "**Headquarters of UP Special Security Force**" means a headquarter functioning under the Director General of Police or Additional Director General of Police, Uttar Pradesh Special Security Force, as the case may be; (l) "**Industrial Undertaking**" means any undertaking as notified by the State Government pertaining to a scheduled industry [as defined in section 3 of the Industries (Development and Regulation Act, 1951] and includes an undertaking engaged in any other industry, or in any trade, business or service which may be regulated by Parliament or State Legislature by law; (m) "**Installation**" means any statue, monument, building, premises or campus being used in connection with the affairs of any organization including offices, associated buildings, residential area and property of that organization in that premises or campus; (n) "**Member of the Force**" means a person appointed to the Force; (o) "**Private**" means an installation **or** establishment controlled or managed by a person other than Central or State Government or their agencies; (p) "**Selection Committee**" means a selection committee appointed by UP Recruitment and Promotion Board for selection of candidates for appointments to any post in the service; (q) "**Subordinate Officer**" means a person appointed to the Force on the rank of Inspector or a Sub-Inspector ; (r) "**Substantive Appointment**" means appointment to any such post in the cadre which is not ad-hoc and is made pursuant to rules in force by selection; and in the absence of any rules thereof, made under procedures established pursuant to any executive orders of the Government for the time being in force; (s) "**Supervisory Officer**" in relation to an officer of the Force means any officer of a rank which is prescribed as higher

		than that of such officer; (t) **"Under Officer"** means a Head Constable posted in the Force as Orderly, Havildar, Line Police Havildar, Havildar Quartermaster or Team Havildar Major; (u) **"UP Police Recruitment and Promotion Board"** means the Board constituted for recruitment and promotion by the Government order 1256/6-Pu-10-2008-27(7)/08; (v) **"UP Pradeshik Armed Constabulary"** means the force of the State of Uttar Pradesh constituted under the United Provinces Pradeshik Armed Constabulary Act, 1948; (w) **"Uttar Pradesh Police"** means the Force of the State of Uttar Pradesh constituted under the Police Act, 1861; (x) **"Year of Recruitment"** means the period of 12 months commencing on 1st of July of any calendar year; (y) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Indian Penal Code, 1860, Code of Criminal Procedure 1973, Police Act, 1861 , U.P. Pradeshik Armed Constabulary Act, 1948 and Uttar Pradesh Pradeshik Armed Constabulary (PAC) Manual, shall have the same meanings respectively assigned to them therein.
Constitution of the Force	3	There shall be constituted and maintained by the State Government a Force to be called the Uttar Pradesh Special Security Force in accordance with the provision of section 3 of the Act.
Composition of the Force	4	(1) The Force shall be constituted to have a Headquarter of the Force, Sector offices and Battalions. The constitution of the Battalion shall be based on a primary unit called the "Team". Apart from strength of persons in various posts to discharge essential functions at the Battalion headquarters level, a Battalion shall consist of General and Special Teams, Security Team, Personal Protection Team, Quick Response Team, Training Reserve Team and Battalion Duty Team shall come under General Teams while BDDS (Bomb Detection and Disposal Squad) / Dog Squad Teams, AS (Anti Sabotage) check Teams, Snipers and MT (Motor Transport) Section shall come under Specialized Teams.
		(2) At the commencement of these rules, 05 Battalions shall be raised in the first phase and further such Battalions shall be raised as may be notified by the State Government. Constitution of the Headquarters of the Force shall be as prescribed in **rule 7.**
		(3) Save as aforesaid :- (a) the strength of a Battalion consisting of supervisory officers, subordinate officers and members and their strength on each post in a Battalion of the Force, shall be such as the State Government may, after consideration of proposal submitted by the Head of the

		Department and recommended by Director General of Police, approve from time to time as per requirements; (b) the Commandant/ Head of Office, in view of operational necessities may alter the posts and the strength thereof of different Teams for the deployment purposes, on approval of the Head of the Department; (c) the Appointing Authority may leave a vacant post unfilled or the Governor may keep it in abeyance, on account of which no person shall have any right to any kind of remedy or redress; (d) for the effective operation of the Force, the State Government may create any permanent and/or temporary posts as it deems fit.
Structure of the Force	5	Structure of the Force and the hierarchical strength of the members shall be as prescribed in rule 4. The members of the Force shall be in different categories in various ranks as mentioned below:- (1) **Gazetted Officers :-** (a) Additional Director General of Police; (b) Inspector General of Police; (c) Deputy Inspector General of Police; (d) Superintendant of Police/ Commandant; (e) Additional Superintendant of Police/ Deputy Commandant; and (f) Deputy Superintendant of Police/Assistant Commandant/Adjutant. **(2) Non-Gazetted Officers :-** (a) Executive Force : (i) Quartermaster, Special Security Force (for Headquarter) ; (ii) Inspector, Special Security Force ; (iii)Subedar Quartermaster, Subedar Adjutant Special Security Force ; (iv) Sub-Inspector, Special Security Force ; (v) Head Constable, Special Security Force; and (vi) Constable, Special Security Force . (b) Assistant Staff : (I) Ministerial Cadre (i) Police Sub-Inspector (Ministerial); (ii) Police Sub-Inspector (Accounts); (iii) Police Sub-Inspector (Confidential) ; (iv) Assistant Police Sub-Inspector (Ministerial) ; (v) Assistant Police Sub-Inspector (Accounts) . (II) Motor Transport Cadre (i) Sub-Inspector Motor Transport ;

		(ii) Head Constable Motor Transport ; (iii) Constable Driver ; and (iv) Constable Dispatch Rider. (III) Armourer / Bugler Cadre (i) Head Constable Armourer; (ii) Constable Armourer; and (iii) Constable Bugler (IV) Class Four (Group 'D') (V) Radio Branch (i) Radio Inspector ; (ii) Radio Center/ Maintenance Officer ; (iii) Head Operator/ Head Operator (Mechanical); (iv) Assistant Operator ; (v) Workshop Assistant; and (vi) Messenger. (VI) Hospital Branch (i) Medical Officer ; (ii) Pharmacists ; (iii) Nursing Assistant ; and (iv) Class Four (Group 'D') .
Pay	6	The members of the Force shall draw such salary and allowances as are prescribed from time to time to the members, on equivalent ranks, of UP Pradeshik Armed Constabulary or as payable in their parent department.
Headquarters of the Force	7	The Headquarters of the Force shall be at Lucknow. In the first phase, 05 Battalions of the Force shall be established at Gorakhpur, Prayagraj, Lucknow, Mathura and Saharanpur. In future, as further Battalions are established, a Sector Headquarter shall be established by the Government for a group of 03 to 05 Battalions. A Deputy Inspector General rank officer shall be in-charge of the Sector Headquarters. A decision to appoint additional supervisory officers in the Headquarter of the Force commensurate with the increased number of Battalions shall be taken by Government at that time.
Appointments and powers of Supervisory Officers	8	(1) For the supervision of the Force, the State Government may appoint at the Force headquarters, an Additional Director General of the Force who shall be the Head of the Department. In the first phase, there shall be 01 Inspector General of Police, 01 Deputy Inspector General of Police, 02 Superintendents of Police and 04 Deputy Superintendents of Police to assist the Head of the Department at the Headquarters. In the future, subject to the provisions prescribed under **rule** 5, the State Government may, after the constitution of additional Battalions and sector offices, appoint additional Supervisory Officers for the

		Headquarters and the sector offices, at that time. (2) The State Government may appoint for the supervision of each Battalion of the Force, a Superintendent of Police/ Commandant at the Battalion Headquarters, who shall be the Head of the Office; and to assist him in the form of a Supervisory Officer, may appoint 01 Additional Superintendent of Police/ Deputy Commandant who shall be the Second-in-command (2IC). (3) At the Battalion level, for each Battalion, 05 Deputy Superintendents of Police / Assistant Commandants may be appointed in the form of other Gazetted Supervisory Officers.
Duties of Gazetted Supervisory Officers	9	**(A) Additional Director General of the Force** (1) The Additional Director General shall be the Head of the Department and shall be responsible for maintaining it in a state of high efficiency, training, discipline and morale and he shall for that purpose take all such steps as he may consider necessary, by way of tours, inspections, examination of records, calling for reports, framing procedures, issuing instructions and giving directives on all matters pertaining to the administration of the Force. He shall, in particular, guide and direct the supervisory officers and it shall be his duty to ensure that each supervisory officer maintains the Force in his charge at a high level of efficiency and discipline. (2) The Additional Director General shall ensure coordination with the authorities, key persons, etc. of all institutions/ installations mentioned in section 3 of the Act, where the Force has been deployed and in respect of the Force, he shall ensure resolution of security issues and fulfillment of needs of every such undertaking, establishment, person, etc. He shall maintain close liaison with the police and other authorities of the State so as to secure effective co-ordination between the State Police and the Force in regard to matters pertaining to the protection and security of such undertaking, establishment, person, etc. (3) He shall issue standing orders/pamphlets, circular orders, instructions etc. to assign responsibilities, not inconsistent with these rules, to the members of the Force for the carrying out of duties enumerated under section 8 of the Act. (4) He shall perform any other duty, which the State Government or the Director General of Police may, from time to time, entrust. (5) He shall keep the Director General of Police and the State Government duly informed of all matters of importance. **(B) Inspector General of the Force**

(1) The Inspector General shall work as an assistant to the Additional Director General of the Force.
(2) He shall closely supervise the locations of various deployments and take appropriate measures to promote their efficiency and work proficiency.
(3) He shall give instructions to the sector Deputy Inspectors, General for the operation and control of the Force deployed in various undertakings, persons, establishments, etc.
(4) He shall assist the Head of the Department in the discharge of the duties mentioned under rule 9.
(5) He shall carry out inspections of the sector units as per the circulars issued by Force Headquarters.
(6) He shall scrutinize the Inspection Notes/ Inspection Reports submitted by the sector Deputy Inspectors General of all Battalions and monitor the compliance of shortfalls pointed out therein.
(7) He shall scrutinize and approve the tour programs, Inspection Notes/Inspection Reports and monthly diaries of Deputy Inspectors General.
(8) He shall ensure speedy disposal of departmental enquiry cases and time-bound monitoring of court cases.
(9) He shall perform any other duty, which the Director General of Police or the Additional Director General of the Force may, from time to time, entrust.

(C) Deputy Inspector General of Police

(1) For proper supervision of the Force, the State shall be divided into sectors. A Deputy Inspector General shall be the in-charge of each sector.
(2) He shall be responsible for maintaining the Force in his charge in a state of high efficiency, training, discipline and morale. For this purpose, he shall inspect the undertakings, establishments, personal security, etc., in his sector where the Force is deputed at least twice a year and send his Inspection Note/Inspection Reports to the Inspector General, giving details of the state of the Force and its administration.
(3) The Deputy Inspector General shall be readily available to the Commandants and shall aid, advise and control them. He shall coordinate with the authorities of the undertakings, establishments, personal security, etc., of his sector, where the Force has been deputed.
(4) He shall perform any other duty, which the Additional Director General of the Force and the Inspector General of the Force may, from time to time, entrust.

(D) Duties of the Commandant

(1) The Commandant shall be the Head of the Battalion. He shall be responsible for the efficiency, discipline and

(

		morale of the battalion and for the proper management of each branch of the Force under him. He shall periodically inspect the battalion of the Force under his command. All administrative and other orders to the Force under him shall emanate from him and he shall ensure their compliance. (2) He shall ensure strict compliance of all orders issued by the Director General of Police, the Additional Director of the Force and other senior Supervisory Officers. (3) The Commandant shall regularly inspect the detachments of the Force posted outside the battalion and ensure that they remain in a high state of efficiency. (4) He shall ensure that all members of the Force under him attend parade and refresher courses in turn according to a program. When at headquarters, he shall attend the parade every Tuesday and Friday and hold the Orderly Room every Friday. (5) The Commandant shall be responsible for the security of the undertaking, Establishment and personal security in which the detachment of his battalion is posted. For that purpose, he shall remain in close touch/co-ordinate with the district police authorities as well as the concerned authorities of the aforementioned Undertaking, Establishment and personal security. He shall keep the Additional Director General of the Force, the Inspector General and the Deputy Inspector General fully informed of all the developments and send them regular fortnightly reports, as prescribed. Matters of urgent nature, however, shall be brought to their notice by the quickest possible means. He shall pay his personal attention to the working of the Intelligence wing and ensure that intelligence is efficiently collected and conveyed promptly to the concerned authorities and the Deputy Inspector General. (6) He shall perform any other duty, which the Head of the Department of the Force and other senior supervisory officers may, from time to time, entrust. **(E) Duties of the Deputy Commandant** (1) The Deputy Commandant shall be the second-in-command (2-I-C) of the battalion. (2) He shall assist the Commandant in the discharge of the Commandant's duties and responsibilities; and where he is placed as head of the battalions; he shall discharge all the duties of a Commandant and shall exercise only those financial powers that are delegated to him under the relevant rules. (3) As the second-in-command, the Deputy Commandant shall be responsible for discharge of all duties of the Commandant of the battalion. He shall be responsible for

(

		the efficiency, discipline and morale of the personnel under him and shall also be responsible for the security of the Undertaking or its part entrusted to him. (4) He shall perform any other duty, which the Commandant and the Head of the Department of the Force and other senior supervisory officers may, from time to time, entrust. **(F) Duties of the Assistant Commandant** (1) The Assistant Commandant shall assist the Commandant of the battalion and the Deputy Commandant; and unless specifically directed to the contrary, he shall perform all the functions of the Commandant when so required by the latter. He shall be responsible for the efficiency, discipline and morale of the personnel under him and shall also be responsible for the duties entrusted to him in relation to the security of the Undertaking, Establishment and personal security. (2) He shall perform any other duty, which the Commandant may, from time to time, entrust. **(G) Duties of the Adjutant** (1) The Adjutant shall be the Commandant's Staff Officer and as such all orders by him are to be obeyed as though given by the Commandant himself. (2) As the administrative and operational assistant to the Commandant, he shall be responsible for maintaining a high level of discipline, turnout, compliance of rules and standing orders, efficient and fair allotment of duties of subordinate officers and Under Officers, in the Battalion. (3) He shall also perform all other such duties which the Commandant may from time to time, entrust.
Recruitment to the Force	**10**	1 **Deputation:-** (a)On constitution of the Force, for initial 03 years, all posts in the Force shall be filled by deputation of eligible personnel from Pradeshik Armed Constabulary and Civil Police on the basis of qualifications/norms/standards prescribed by the Head of the Department. The entire strength of women members of the Force shall be sourced solely from deputation. The period of deputation shall ordinarily be three years which may be further extended by a maximum of two years. The maximum duration of deputation shall be five years. (b) On the first direct recruitment, the ratio of members on deputation to members through direct recruitment shall be brought down to around 70:30 level, after second recruitment it shall be brought down to around 50:50 level, and after third recruitment to around 30:70 level, and the

		said ratio of 30:70 shall permanently remain effective thenceforth until the State Government decides otherwise. (c) The members taken on deputation to Special Security Force shall be repatriated to their parent departments: i. On attaining the below mentioned ages:- (a) Constables - 40 years (b) Head Constables - 42 years (c) Sub-Inspectors/ Inspectors - 45 years **or** ii. On the satisfaction of the Head of the Department that such repatriation is expedient on administrative grounds. (d) The standards and procedure for deputation to the Force shall be determined by the Director General of Police in accordance with the applicable rules. 2. **Direct Recruitment:-** (a) Such male candidates, who are not physically handicapped, shall be eligible for direct recruitment to the posts of Constables and Sub-Inspectors. Save as provided under preferential qualifications below, the direct recruitment to the above posts in Special Security Force shall be governed by *The Uttar Pradesh Pradeshik Armed Constabulary Subordinate Officers Service Rules, 2015 (as amended)* and all other Rules applicable to Provincial Armed Constabulary for the time being in force. **(b) Preferential Qualifications:** All sought criteria remaining same, such candidates for direct recruitment shall be given preference, who have:- (i) "O" level certificate in Computer from DOEACC/NIELT Society, **or** (ii) Minimum 02 years service with Territorial Army, **or** (iii) "B" level certificate of National Cadet Corps (NCC). **Note:** - Above mentioned preferential qualifications shall not bear any marks, but in case two or more than two candidates secure equal marks, then in the selection list a candidate possessing preferential qualification shall be given preference.
Appointment of Auxiliary Staff at the Force Headquarters/ different offices	**11**	(1) The posts of Ministerial Branch, Transport Branch, Armourer Branch and Police Radio Branch shall be filled by transfers from UP Police/ Provincial Armed Constabulary from the common cadre pool.

		(2) The posts of Class Four (Group 'D') shall be filled by the Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board as per prevailing rules/regulations for recruitment of Group 'D' in UP Police/ Provincial Armed Constabulary. (3) The posts of Medical Officers, Pharmacists shall be filled by transfer/deputation from the Uttar Pradesh Medical and Health Department.
Promotion	**12**	The rules for promotion to different ranks in various posts in the Force shall be the same as prevailing in the UP Police/ Provincial Armed Constabulary for the time being.
Training	**13**	(1) Selected candidates shall be required to pass the prescribed training. The duration of Basic Training shall be 09 months, of which the foundational training shall be of 06 months duration and specialized training shall be of 03 months duration. The 03 months duration specialized training shall comprise of Sniper, BDDS, AS Check and Commando trainings etc, as may be determined by the Training Headquarters **on the** request of and in co-ordination with the Head of the Department. In case, any selected candidate does not report for the training within the prescribed time limit, his candidature shall stand cancelled. (2) The syllabus and place of basic training of the selected candidates and refresher coursed for the members of the force and other specialized training shall be determined by the Training Headquarters on the request of and in co-ordination with the Head of the Department. (3) For the cadets that fail in Basic Training, the Head of the Department shall organize a re-examination after imparting Supplementary Training. In the case of candidates that fail in Supplementary Training, the Appointing Authority shall initiate proceedings to terminate the services of such candidates. (4) **Refresher Training:-** Post basic training, a Refresher Training of 06 weeks duration shall be imparted every 05 years. There shall be an annual medical examination and annual firing practice. Those who fail in **firing** examination shall be given one more opportunity but failing in the retest shall result in initiation of disciplinary proceedings against him.

		The candidates appointed by promotion under rule 12 shall have to successfully complete the training prescribed by the Head of the Department.
Superintendence and administration of the Force	**14**	(1) The Superintendence of the Force shall vest in the Director General of Police, and the command, supervision and administration of the Force shall vest in the Additional Director General of the Force. (2) The administration of the Force within such local limits as may be notified shall be carried on by the supervisory officers in accordance with the provisions of these Rules, and every supervisory officer placed in charge of the protection and security of body of person(s) and/or his residential premises notified as such by the State Government by name, nomenclature or category; the High Court of Judicature at Allahabad and Lucknow, District Judgeships and any other court as notified by the State Government; vital installations; industrial undertakings; shrines; administrative premises, metro, airports, banks and other financial institutions; and any other installations or establishments notified by the State Government, as such, for this purpose subject to any direction that may be given by the State Government or the Additional Director General in this behalf. (3) The Superintendent of Police of the district shall, in coordination with the Supervisory Officer of the Force, have the power to oversee the functioning of the Force within his jurisdiction.
Deployment of the Force for providing services to private Establishments	**15**	(1) Under section 7 of the Act, On the request for services, received from Private Establishments, the Additional Director General of the Force shall constitute a committee, which shall be headed by an officer not below the rank of Deputy Inspector General who shall get the said request examined. The Additional Director General of the Force shall forward his clear opinion to the Director General of Police who shall take a final decision on the report. (2) The estimated total cost to be recovered from the private Industrial Establishments or Private Sector Establishments for the Force to be deployed shall be determined on the basis of the following:- a. **Recurring Expenditure** i. Pay and allowances ii. Annual expenditures towards uniform and equipments iii. Traveling allowances iv. Contingency expenditures v. Contribution towards pension vi. Leave Pay vii. Administrative or Supervisory charges viii. Group Insurance ix. Expenditures towards ammunitions for annual

		firing practice. x. Other petty expenses. xi. Vehicle, fuel, oil, lubricants xii. Office expenditures xiii. Medical expenditures xiv. Any other payable approved by the State Government b. **Non-Recurring Expenditure** i. Training expenditures ii. expenditures towards uniform and equipments iii. Required Arms/ ammunitions as per rank and standards iv. Residential/ administrative buildings. c. The expenditures to be charged shall be calculated by the Finance Controller, Police Headquarters, Lucknow, for each rank; and the Additional Director General of the Special Security Force shall, after getting recommendation of the Director General of Police, shall seek the approval of the State Government for the same. The calculation of expenditures to be charged shall be revised every year on the 1st of April. On the basis of charges as approved by the State Government, the Private Establishments, to which the Force is to be provided under sub-rule (1) and shall be charged the amount as determined. d. It shall be lawful for the Additional Director General of the Force to revise the reimbursement charges, as per the requirements during any Financial Year, with the approval of the Director General of Police. Approval of such revised expenditure reimbursements to be charged shall be taken from the State Government.
Duties of the members of the Force	**16**	(1) In addition to the duties mentioned in section 8 of the Act, the duties of subordinate officers and other members of the **Force shall** be as given below:- (A) Duties of the Subedar Adjutant, Reserve Inspector, Inspector, Quartermaster, Subedar Quartermaster, Sub Inspector, Havildar, Head Constable, Constable, Line Police etc. shall be as follows:- (i) They shall perform duties as shall be laid out by the Head of the Department ; (ii) They shall ensure a high level of professional capacity, competence, proactive readiness, SOP adherence, discipline, knowledge, skills and attitudes in the Force in order to carry out the duties enumerated under section 8 of the Act; (iii) They shall carry out duties as per the directions of the Supervisory Officers. (2) For other posts which have been sanctioned or created or

		may be sanctioned or created from time to time by the State Government, their duties shall be assigned by the Additional Director of the Force by a separate order.
Duties of Special Operational Teams	**17**	(1) **In-charge Premises Security Team :-** (a) there will be an officer of Inspector/Sub-Inspector rank who, with the cooperation of his/her subordinates, will be responsible for the premises security of any residential campus, the High Court of Judicature at Allahabad and Lucknow, District Judgeships or any other premises notified by State Government for protection and security thereof; (b) he will prepare an S.O.P. (Standard Operating Procedure) according to Security Plan for the security of the defined area and will ensure implementation of the SOP after getting it approved by the competent authority; (c) he shall maintain a duty register at duty point and a checking register for premises security; and shall peruse the register himself daily; (d) he shall maintain an SOP designed for every point in the premises and will ensure Standing Orders to be placed at all *Morcha* duties and other appropriate duty points; (e) he shall ensure instant implementation of the SOP in case of any contingency and shall ensure instant message to his senior officials about the situation; (f) in case of any criminal offence taking place in the premises secured by the Team, he shall, while informing, discharge his constitutional duties as established by law and shall try his best to control the situation and shall inform the local police station immediately; (g) he shall be responsible towards maintaining high standards of discipline and professional competence in his Team and shall ensure training, briefing and site mock drills and rehearsals of his Team from time to time; (h) he shall ensure checking of the duties of all the members of his Team from time to time and shall immediately report about the personnel found careless in duty to the Gazetted Officer in-charge of his Battalion; (2) **In-charge Personal Security Team :-** (a) there shall be an officer of Inspector /Sub-Inspector rank that shall ensure, through Personal Security Officer under him that personal security is provided to persons notified as dignitaries in categorized security or any other person to whom security is to be provided as per

		directions of the State Government or Competent Court; (b) he shall ensure checking of the duties of all the members of his Team from time to time and shall immediately report about the personnel found careless in duty to the Gazetted Officer in-charge of his Battalion; (c) he shall be responsible towards maintaining high standards of discipline and professional competence in his Team and shall ensure training, briefing and site mock drills and rehearsals of his Team from time to time; (d) he shall keep his Team prepared keeping in view the life threat perception of protected dignitaries and shall develop competence among his Team members to act skillfully in all adverse circumstances; **(3) In-charge Quick Response Team (QRT) :** **(a)** there shall be an officer of Inspector/ Sub-Inspector rank who shall along with his Team, in case of any contingency like terrorist attack/ Law and Order problem or any other kind of emergency, on orders to reach a specified place by Gazetted Officer of the Battalion, shall reach such place and shall ensure immediate security and further reactionary actions; **(b)** he shall ensure that during any operation, all the members of his Team will remain in uniform and they should be well equipped with all the equipments and weapons and, well prepared, they should respond tactically in prescribed formations to face the conditions arising due to any emergency; **(c)** he shall be responsible towards maintaining high standards of discipline and professional competence in his Team and shall ensure training, briefing and site mock drills and rehearsals of his Team from time to time; **(d)** he will keep his Team ready according to SOPs to respond to possible threats, and will act accordingly to develop professional skills among his Team members to face all types of adverse situations; (4) **In-charge Bomb Detection and Disposal Squad (BDDS) with Dog Squad :** (a) there shall be an officer of Inspector/ Sub-Inspector rank who shall ensure to get any specified place checked by his Team as per standard procedure for the possibility of presence of any explosive material as directed by the Gazetted Officer of the Battalion; and in case any such explosive material is found there, he will take actions to neutralize it; (b) he shall also be the in-charge of the Dog Squad and shall

		ensure the standard checking of any specified place by the trained dog/dogs; (c) the BDDS Team shall work under the direction of its In-charge and the Team shall follow all the directions and instructions which are given by the Commandant or any of his subordinate Gazetted Officers of the Battalion for any specific operational duty; (d) after checking of the specified place, the In-charge of BDDS Team shall declare the place as secured place and hand over the charge of the place to the In-charge security officer as per prescribed procedure; and shall give a description of the checking to the duty point In-charge Gazetted Officer on a prescribed format issued by Additional Director General of the Force through a separate order; (e) he shall be responsible towards maintaining high standards of discipline and professional competence in his Team and shall ensure training, briefing and site mock drills and rehearsals of his Team from time to time; **(5) In-charge Anti-Sabotage (A.S.) Check Team** (a) there shall be an officer of Inspector/ Sub-Inspector/ Head Constable rank who shall ensure to get advanced security check of any specified place by his Team as per standard procedure for the possibility of presence of any undesirable item/object as directed by the Gazetted Officer of the Battalion; (b) the A.S. Check Team shall perform its duties under the direction of its in-charge of the Battalion and the Team shall comply with all such directions /instructions which are issued by Commandant or his subordinate Gazetted Officers of the Battalion for specialized operational duty; (c) after checking of the specified place, the in-charge of the Team shall hand over the venue/ location to concerned duty officer after having declared the place as secure and shall give a description of the checking to the duty point In-charge Gazetted Officer on a prescribed format issued by Additional Director General of the Force through a separate order; (d) he shall be responsible towards maintaining high standards of discipline and professional competence in his Team and shall ensure training, briefing and site mock drills and rehearsals of his Team from time to time. **(6) In-charge Sniper Team :** (a) there shall be an officer of Inspector/ Sub-Inspector rank who shall immediately ensure to get the specified duties performed by his Sniper Team as directed by the higher

(

		officials with utmost professional efficiency; (b) his Team shall consist of snipers who shall be well trained sharpshooters. The Team shall report to the concerned Gazetted Officer in-charge of the duty place specified by the Commandant of the Battalion and shall ensure discharge of all responsibilities related to security aspects.
Powers of the members of the Force	**18**	Every member of the Force having been so appointed and till such time he remains a member of the Force, shall be considered a Police Officer and shall be subjected to such conditions, restrictions and limits as may be determined; and shall have all such powers, special powers, responsibilities, restraints, punishments and protections; and be governed by them, as are applicable to police officers appointed to Uttar Pradesh Police under the Police Act, 1861 or any such other law for the time being in force or under any rules or regulations framed thereunder, but such conditions, restrictions and limits shall not be contrary to the orders under the Act.
Procedure of arrest	**19**	**In making an arrest, under section 10 of the Act :-** (i) the member of the Force shall actually touch or confine the body of the person to be arrested. (ii) If such person forcibly resists the endeavor to arrest him, or attempts to evade the arrest, the member of the Force may use all means necessary to effect the arrest. In case of use of force it should be minimum, required in that particular situation. (iii) The person arrested shall not be subjected to more restraint than necessary to prevent his escape. (iv) The member of the Force making the arrest, may search such person, and place in safe custody all articles including weapons, if any other than necessary wearing apparels, found upon him. An inventory of all such articles shall be prepared in the presence of at least two respectable witnesses and in the presence of the arrested person and a copy of the inventory duly signed by the witnesses and the person conducting the search, shall be given to theperson so arrested after obtaining duo receipt. (v) Such arrested person as well as the seized articles and its inventory shall be handed over to a local police officer or at the nearest police station without avoidable delay along with a brief note giving the time, date and reasons of arrest.
Procedure of Search	**20**	Whenever a search of a person and of his belongings is conducted under section 11 of the Act an inventory shall be prepared in the presence of the two respectable witnesses and a copy of the inventory duly signed by the witnesses and the person who

		conducted the search, shall be given to the person concerned after obtaining due receipt. The property so found on such search, shall also be sent to the police along with the person If nothing is found on such search, a nil inventory statement duly signed shall be sent to the police along with the person.
Terms and Conditions of service	**21**	(1) The disciplinary action against non-Gazetted Officers and personnel of the Force shall be taken in accordance with the UP Police Officers of Subordinate Ranks (Punishment and Appeal) Rules, 1991 (as amended) and *UP Pradeshik Armed Constabulary Act, 1948.* (2) The members of the Executive Force as defined in clause (a) of sub-rule (2) of rule 5 and directly recruited for Force or promoted to non-gazetted ranks from such members shall form a separate cadre known as The Uttar Pradesh Special Security Force Cadre. Members of this cadre in the ranks of Inspectors, Sub-Inspectors, Head Constables, Constables and the personnel posted on equal ranks may be transferred or posted from one place to another, within the Force, by the orders of the Establishment Boards at battalion, sector and Headquarters level in the Force, constituted by the Government. (3) When the Government is of the opinion that a difficulty has arisen in a particular matter in implementing a rule, regulating the service conditions of the appointed personnel, in such cases, without prejudice to the rules, and not inconsistent with the limits and conditions of the rule, it may grant such waiver or relaxation as may be required to proceed in a just and equitable manner.
Power to issue standing orders etc.	**22**	Without prejudice to the generality of the powers conferred by these rules, in view of operational and tactical needs, administrative ease and enhancement of work efficiency and efficacy, Additional Director General of the Force, on approval of Director General of Police, may issue standing orders or pamphlets.
Uniform, vehicles/ carriages, arms and ammunitions, equipments of the Force	**23**	Without prejudice to scope of aforesaid powers granted under these rules, requirement of weapons, accoutrements, clothing and other necessary articles and vehicles, equipments and other necessary resources shall be provided as under:- (1) **Uniform:-** (a) The general features of the uniform to be adorned by members of the Force shall be as described in **Appendix-01;** whereas general format of symbol/ insignia of the Force shall be as given in **Appendix-02;** and the formation sign to be worn on the right arm shall be as prescribed in **Appendix-03.** (b) In relation to the uniform as above, the Additional Director General of the Force, on approval by Director General of Police, shall issue a comprehensive standing order/ pamphlet giving details of technical specifications of the cloth, the design of the uniform, the tailoring instructions, manner of adornment, changes

as per the seasons etc., and in relation to insignia and formation sign, giving details of dimension and other measurements, colour combinations, designs, methods of making, base materials, manners of wearing, etc.

(c) The Director General of Police shall be the competent authority to make amendment in the uniform to be adorned by the members of the Force.

(d) Apart from the decorations as prescribed by the Government, Director General of Police shall determine decorations to be worn by members of the Force like different ribbons (symbols) on successful completion of specialized training, on completion of prescribed refresher course etc., on discharge of special duties etc.; and identification symbols of specialized Teams; and the member of the Force shall wear these decorations/ symbols on the uniform as prescribed.

(e) The uniform to be worn by the Gazetted Officers of the Force shall be as follows:-

(i) Prevailing working uniform in UP Police;

(ii) Prescribed uniform for Special Security Force;

(f) The uniform to be worn by the non Gazetted Officers of the Force shall be as follows:-

(i) All the members who are discharging duties in Campus/ Premises Security Teams, QR Teams, Training Reserve Teams, Battalion duties, MT Sections, Snipers and Personal Security Teams shall wear specially designed uniform made of khaki based Disruptive Pattern Material (Desert Digital Camouflage). A sample of the pattern shall be securely preserved by the Head of the Department. As part of this uniform, a black/DPMcoloured forage cap/ beret cap with the embroidered UPSSF badge/insignia on it shall be worn. The Unit Commander shall ensure that cap of the subordinate force at any point of time shall be of identical type. The shirt and trousers of the uniform, made of disruptive pattern material shall be worn in tucked-in style and shall be held by a black web belt in tight fit. The lanyard of the uniform shall be black in colour and it shall have a whistle, as prescribed. The members of the Force shall wear black tactical shoes and black socks with the aforesaid uniform. The prevailing Uttar Pradesh Police formation sign shall be worn on the left arm of the shirt. A name plate shall be worn above the right pocket of the shirt in a stitched manner such that the name is embroidered in white against a black base. All members of the Special Security Force shall wear the formation sign of the Forceon the right arm in a stitched manner and shall wear Team identification symbol on the right pocket also in stitched manner. The members shall wear the Battalion identification sign, for example "II BN" in a stitched manner on both upper arms. In this regard detailed standing order shall be issued by the Head of the Department. Rank badges to be worn on the shoulders shall be embroidered; no metallic badges/ decorations shall be worn during field duties. The prevailing crest

		of the UP Police (उ0प्र0पु0) shall be worn on the shoulders. For operational ease, 'Velcro Tapes' shall be provided along with the buttons on shirt and trousers of the uniform. Other decorations like–medals, commendation discs, training medals /ribbons, posting ribbons etc. shall be worn on left or right pocket as prescribed. Other decorations like–medals, commendation discs, training medals /ribbons, posting ribbons etc. shall be worn on left or right pocket as prescribed. (ii) The members of the BDDS Team along with dog squad Teams and AS check Teams posted in UP Special Security Force shall wear half-sleeved grey-black coloured plain (Pantone 18-4005 TCX) safari dress during summers and plain trousers and full-sleeved shirt of the same colour and cloth; and a blazer shall be worn during winters. (g) the Head of Department shall determine the flag of the Special Security Force with the approval of Director General of Police and shall issue a standing order. **(2) Vehicles/ Carriages** The Director General of Police or Additional Director General of the Force shall determine, from time to time, the numbers and kinds of vehicles/ carriages needed commensurate with the requirements of the Force; and these shall be included in the fleet upon the approval of the Government. **(3) Arms and ammunitions** The Director General of Police or Additional Director General of Special Security Force shall determine, from time to time, the quantity and the kind of modern and technologically superior weaponry, commensurate with developing security challenges and the requirements of the Force; and these shall be inducted in the Force upon the approval of the Government. **(4) Equipments** The Director General of Police or Additional Director General of Special Security Force shall determine, from time to time, the type of the state-of-the-art equipments and their numbers commensurate with the widening security challenges and the requirements of the Force; and that these shall be included in the Force upon the approval of the Government.
Enhancement of Manpower of the force	**24**	Under section 9 of the Act, during actual deployment of the force or otherwise, the Director General of the Police is satisfied that additional manpower needs to be added to the strength of the force for the time being, he may approve such strength to be deployed from Pradeshik Armed Constabulary and/or Civil Police to enhance the man power of the force, for such period as he may order.
Savings	**25**	Nothing in these rules shall affect such reservations and other concessions, in the matters of which the Government through its

		Acts and Orders, issued from time to time, desires that provisions be made for Scheduled Castes, Schedule Tribes and other special category persons.
Overriding clause	**26**	Notwithstanding anything to the contrary in any other rules framed or Government orders issued or administrative instructions issued by the Government, the provisions under these rules shall prevail.

By order,

(AWANISH KUMAR AWASTHI)
Apar Mukhya Sachiv.

Appendix-01

(See rule 23)

1- Uniform for UPSSF

a- Gazetted Officers

(i) Prevailing working uniform in UP Police
(ii) Prescribed uniform for Special Security Force

b- Non Gazetted Officers/ personnel – Prescribed uniform for Special Security Force

Prescribed Uniform for UPSSF

S. No	Uniform	Officer/Personnel who shall wear
1	DPM Uniform -(Disruptive Pattern Material)	1-Premises Security Team 2-QR Team 3-Training Reserve Team 4-Battalion duty 5-MT Section 6-Snipers 7-Personal Protection Team
2	Plain clothes a- Summer – Half sleeve safari b-Winter - Trouser Shirts and Blazer (Prevalent in UP Police)	1-BDDS along with Dog Squad Team 2- AS Check Team

2-Proposed pattern of the Uniform

1-Khaki based DPM Uniform (**Disruptive Pattern Material**)
2-Cap – Forage Cap /Beret Cap (Headgear)
3-Tactical shirt
4-Belt
5-Tactical Pants
6-Tactical Shoes/Socks- Black
7-Gloves
8-Socks
9-Seasonal Overcoat
10-Gear Pack
11-Anti-Riot Gear

3- Attachments of Uniform

- Velcro at the places of opening and closing of the uniform
- Embroidered badge of UPSSF on the uniform
- Embroidered formation sign of UP Police on the uniform
- Embroidered Forage/Beret black cap
- Web Belt (Black)

Appendix-01

Technical Drawing of Shirt

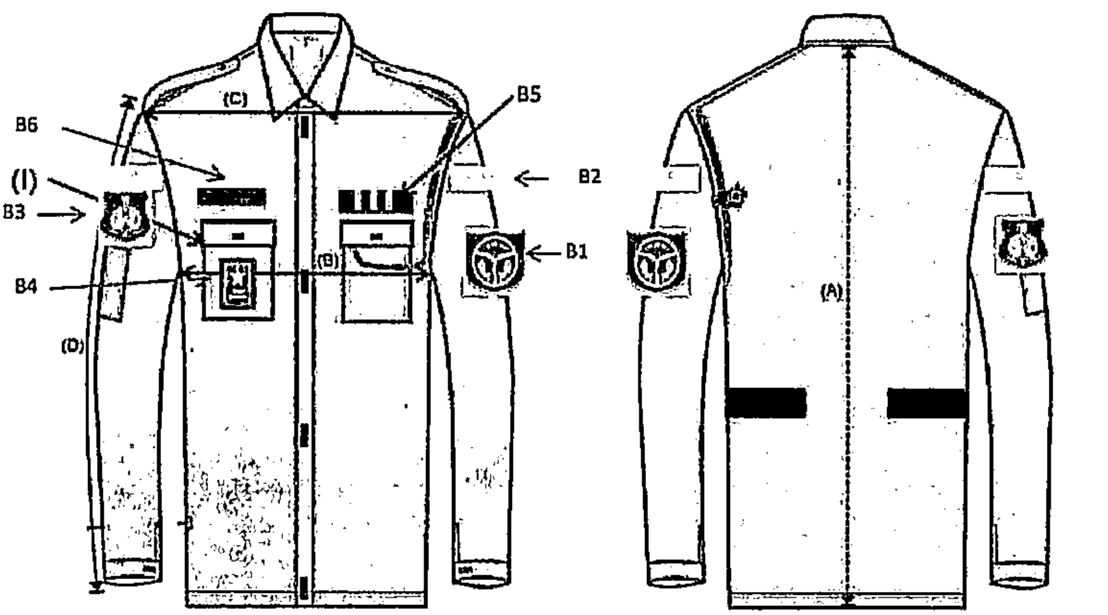

B1	UPP Insignia
B2	Batallian ID
B3	UP SSF Insignia
B4	Team ID
B5	Ribbon
B6	Name Patch

Garment Measurement Chart in cm

SIZE		M	L	XL	2XL
BACK LENGTH	(A)	73	75	77	80
CHEST 1/2	(B)	54	58	60	62
SHOULDER	(C)	48	50	52	54
SLEEVE LENGTH	(D)	61	61	62	63

Pockets measurement Chart in cm

CHEST PKT	(I)	14x15	FLAP	14.5x6

Appendix-01

TECHNICAL DIAGRAM OF TROUSERS

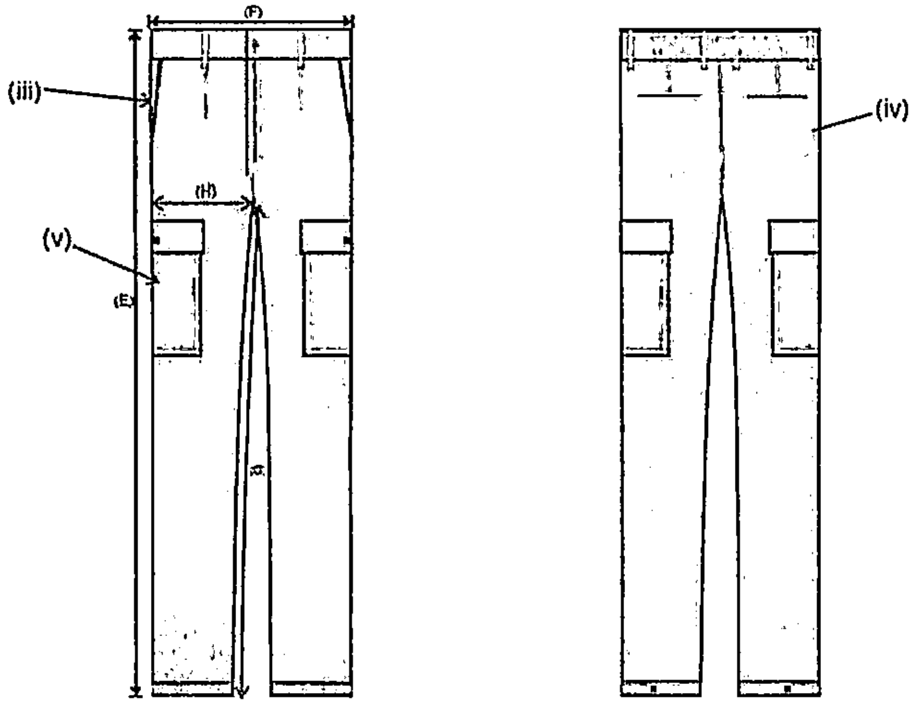

Garment Measurement Chart in cm

LENGTH +BELT	(E)	108	111	112	113
INSEAM	(F)	77	78	78	79
WAIST ½	(G)	40	43.50	46	48.50
THIGH ½	(H)	33	34	35	35

Pockets measurement Chart in cm

CHEST PKT	(I)	14x15	FLAP	14.5x6
LOWER WAIST PKT	(II)	16x17	FLAP	16.5x6
SIDE CROSS PKT	(III)	20x33		
Back Concealed Pkt	(Iv)	15x16		
KNEE PKT	(v)	16x17	FLAP	16.5x6
NAME PATCH	(vI)	2.5x10		

Appendix-02

(See rule 23)

UPSSF Insignia

Appendix-03

(See rule 23)

UPSSF Formation Sign